हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 अगस्त, 2012

खण्ड 2, अंक 3

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मगलवार, 28 अगस्त, 1973

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(3)1
इडियन ने ानल लोकदल तथा ि ा ोमणिा अकाली दल के सदस्यो के निलेबन को रद्द करने का मामला उठाना।	(3)2
तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)	(3)8
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखा गया तारांकित प्र न का लिखित उत्तर	(3)21
भगत फूल सिंह महिला वि ववविद्यालय, खानपुर कलां तथा डी.ए.वी. माडल स्कूल, सैक्टर 15–A, चण्डीगढ के विधार्थियों तथा अध्यापको का अभिनन्दन	(3)22
इंडियन ने ानल लोकदल तथा ि ारोमणि अकाली दल के सदस्यों के निलम्बन को रद्द करने का मामला उठाना (पुनरारम्भण)	(3)22

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव की सूचना	(3)27
वाक–आउट	(3)27
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव– घातक दुर्घटनाओ/यात्रियों को ढोने के लिए वाणिज्यिक वाहनो के उपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमो संबंधी	(3)28
वक्तव्यः– उद्योग मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी	(3)28
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(3)45
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(3)46
याचिका समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(3)46
विधान कार्यः–	(3)46
दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान (नं0 3 बिल,2012)	(3)47
दि महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (सैकेण्ड अमैडमैंट) बिल, 2012 भगत फूल सिंह महिला वि वविद्यालय खानपुर कलां (सैकेण्ड अमैडमैंट) बिल, 2012	

दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (सैकेण्ड अमैडमैंट) बिल, 2012 चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी सिरसा (सैकेण्ड अमैडमैंट) बिल, 2012 दि पंजाब ि ाड्यूल्ड रोड्ज एंड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रक ान आफ अनरैगुलेटेड डिवेल्पमैंट (हरियाणा अमैडमैंट) बिल, 2012 दि पंजाब न्यू कैपिटल (पैरिफेरी) कंट्रोल (हरियाणा अमैडमैंट) बिल, 2012 दि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टैम्पोरेरी रिलीज) अमैडमैंट बिल 2012 दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमैडमैंट) बिल,2012 दि हरियाणा म्युनिसिपल कार्पोरे ान (अमैडमैंट) बिल,2012 दि पंजाब ऐग्रीकल्चर प्रौडयूस मार्किट्स (हरियाणा अमैडमैंट) बिल, 2012	
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव की सूचना	(3)72
अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद	(3)73

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 28 अगस्त, 2012

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 10.00 अपराह्न हुई। (श्री कुलदीप भार्मा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Honb'ble Members, now, the Question Hour.

Number of Tourist Complexes

*** 1192. Shri B.B. Batra:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the number of tourist complexes being run by the Haryana Tourism Development Corporation;

(b) the steps being taken to improve the condition, standard and maintenance of the infrastructure and to stop the pilferage and to improve the quality in the tourism complexes;

(c) whether the Tourism Development Corporation is running in profit or loss; the loss suffered by the Tourism Development Corporation in the year 2010-2011 and 2011-12;

(d) whether there is any planning of Tourism Corporation to attract more & more tourist in the State; if so, the details thereof; and

(e) the steps being taken by the Tourism Corporatoin to reconstruct remodel/renovate the Oasis Fast Food Complex and karna Lake Complex at Karnal ?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda):

(a) 43

(b) Facilities in 26 tourist complexes located at Badkhal Lake, Surajkund, Pinjore, Rai, Ambala, Karna Lake, Bahadurgarh, Panipat, Pipli, Tilyar, Rohtak, Dharuhera, Samalkha, Hodal, Magpie, Faridabad, Panchkula, Hissar, Faridabad Golf Course, Rewari, Morni, Tikkar Tall, Mansa Devi, Pehowa, Bhiwani, Damdam, Yamunagar and sultanpur are being improved by carrying out renovations at a cost of Rs. 763.69 lacs during the courrent year. To stop pilferage and to improve the quality of tourism complexes, system of on line booking of rooms has been introduced. Surprise checks and monthly reviews are conducted from time to stop pilferage.

(c) the Tourism Development Corporation has been running in profit during the year 2010-11 and 2011-12

(d) Yes, Haryana Tourism hosts many festivals to attract tourists. The Annual Surajkund Crafts Mela is hels in Ist for night of February to attract domestic and foreign tourists. From the next year i.e. February, 2013, the mela has been named as international Surajkund Crafts Mela. Similary, the Pinjore Heritage Festival, Mango Mela at Pinjore and Geeta Jayanti at Kurukshetra are hosted everyyear to promote tourism by showcosing teh heritage of State. Tourist Circuits are being development with Central Financial Assistance from the Union Ministry of Tourism. The tourist circuit of Pinure-

Kurukshetra-Panipat (Phase-1) has been developed at a cost of Rs. 1301.51 lacs and work on the Phase-II of the circuit is in progress at an estimated cost of Rs. 1545.22 lacs. Similarly, the tourist circuit of Panchkula- Yamunanagar- Poanta Sahib is being development at a cost of Rs. 3253.06 lacs. As mentioned above the renovations works in 26 tourist complexes at a cost of Rs. 763.69 lacs being carried out during the current year which year is also expected to attract more tourists.

(e) Yes, Facilities at Oasis Fast Food Complex and Karna Lake Complex, Karnal are being improved by carrying out renovations as per requirement and availability of funds. During the last 3 years Rs. 42.45 lacs have been spent at Oasis Fast Food for modernization of Kitchen, restaurant, VIP toilet and creation of two murals. Similary, Rs. 27.88 lacs have been spent at Karna Lake during the last 3 years for upgradation of kitchen and hall at the fist floor. The ice cream parlour, general room. Conference hall, VIP lounge, VIP suite and Kitchen at Karna Lake Complex are being renovated during the current year at a cost of Rs. 27.13 lacs. It is proposed to set up a comprehensive concept plan of the same is being planned.

इंडियन ने ानल लोकदल तथा ि ारोमणि अकाली दल के सदस्यो के निलम्बन को रद्द करने का मामला उठाना

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक रिक्वैस्ट करना चाहता हूँ। जिन लोगों को कल हाऊस से निकाला गया था

मैं उनके बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हैल्दी हैमोक्रसी के लिए उनको हाऊस में वापिस बुला लिया जाए।

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, they disturbed the Question Hour even on Friday. यह एक नई प्रथा है। वज साहब और इनके विपक्ष के साथी जिनके साथ ये अल्टीमेटली जाने वाले है, इन्होने कल च मा बदल कर पहन तो लिया ही था। ये लोग प्र न काल को इन्ट्रपट क्यों करते है? क्या यह एक नई प्रथा है। विज साहब, आप उनके वकील हैं क्या? क्या आप पाला बदल रहे हैं? क्या आप इण्डियन नै ानी लोकदल के वकील हैं?

Mr. Speaker: You may take up this issue after the Question Hour.

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, how he can raise these in the Question Hour? he can raise in the Zero Hour. (Inerruption)

Mr. Speaker: Mr. Vij. please resume your seat.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, सच बात यह है कि साहब आज नेम होकर बाहर जाना चाहते हैं ताकि समाचारों के अन्दर खबर बने। कुछ लोग केवल यह निर्णय करके आते है कि समाचारो के अन्दर खबर बननी चाहिए। इसलिए वे आएंगे और सदन की कार्यवाही में पहले मिनट से ही व्यवधान डालेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की रवायत बन गई है। विज साहब आप लोग दिल्ली में संसद की कार्यवाही भी इसी प्रकार से

रोके हुए हैं और आज फिर यहां पर रोके हुए हैं। इण्डियन नै ानल लोकदल के क्या आप वकील है? क्या आप हरियणा सरकार जनहित कांग्रेस के गठबंधन को छोड़कर जाने वाले है? कल भी आपने अजय सिंह औटाला का च मा पहना था। आपने दिल में तो विज साहब च मा है और दूसरी तरफ जो आपके साथी बैठे है उनके दिल में कोई और झंडा है। अध्यक्ष महोदय, सदन में बी.जे.पी. के चार मैंबर्ज हैं सर, चरो की अलग–अलग राय हैं।चार मैंबर्ज में से दो आए है और उनकी भी अलग–अलग राय हैं। कोई जनहित कांग्रेस की तरह भाग रहा है कोई इण्डियन नै ानल लोकदल की तरफ भाग रहा है। परपज केवल एक ही है, कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना। इण्यिन नै ानल लोकदल की वकालत करना और उनका च मा पहनना है। इनके दिल के अन्दर और इनकी मं ाा अपनी पार्टी को आई.एन.एल.डी. के साथ ले जाने की है?। दूसरे साथी एच.जे.सी. की तरफ खींचते हैं। कभी यह अजय चौटाला जी का च मा दिल में बजाय अपनी नजरो पर लगा लेते है। विज साहब अप आई.एन.एल.डी. के वकील बनना बंद कर दीजिए। जिस प्रकार का उनका उदण्ड और नकारात्मक व्यवहार रहा है आपने खुद भी उनको कंडैम किया। सर, इनको बोलिए, कि यह कम से कम क्वै चन ऑवर में व्यवधान डालना बंद करे। संदन की कार्यवाही चलने दे। भारतीय जनता पार्टी संसद के अन्दर भी इसी प्रकार संसद का समय बर्बाद कर रही है और हरियाणा की विधान सभा के अन्दर भी इसी

प्रकार विधान सभा का समय भी बर्बाद कर रही है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः विज साहब आपका हार्ट का आप्रे ान हुआ है क्या? कब हुआ? The doctors may have advised your to keep now volume. I am concerned about your health. You had recently a by-pass Surgery. Please resume your seat. I am concerned about your health.

श्री अनिल विजःजी हाँ सर, हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस बार सरकार बदली–बदली नजर आ रही है। सर, आप थोड़ा सा और लीनियन्ट हो जाईए।

Mr. Speaker: Mr. Vij, I am concerned about your health.

श्री अनिल विज : सर, आप विपक्ष को वास बुलाएं। अगर सदन ऐसे ही चलाना है तो केवल रूलिंग पार्टी को ही बुला लिया करो। विपक्ष को बुलाने की क्या जरूरत है?

श्री अध्यक्ष : आपके पास उनका कोई मैन्डेट है क्या?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैन्डेट है मेरे पास।

श्री अध्यक्ष : अगर है तो दिखाईये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महादेय, हमने जो कहा था वह आज इनके मुँह पर फिर आ गया। इनके पास आई. एन.एल.डी. का मैन्डेट है इन्होने माना है। क्या इन्होने इस बारे में

कृश्ण पाल गुर्जर जी से राय की, इन्होने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यो के राय की?

Mr. Speaker: Mr. Vij, for your own heart I am telling you. Your health is involved here. Please sit down. We are all concerned about your. Please sit down.

Shri Randeep Singh Surjewala: Vij ji, you are our esteemed friend of heart. We are concerned about you.

Mr. Speaker: Mr. Vij, Please sit down. Why do you shout? Please sit down.

श्री अनिल विज:अध्यक्ष महोदय, यह तो पहले से भी मजबूत हो गया। डैंटिंग करा कर आया हूँ।

श्री अध्यक्ष: कहां करा कर आए हो।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महादेय, पी.जी.आई. में।

श्री अध्यक्ष : तो डॉक्टर्ज ने आपको एवाईज किया होगा कि आप 15 दिन भाांति से रहो। भाांत रहो आप। आपको पसीना आ रहा है।

श्री अनिल विज: स्पीकर साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि for the sake of healthy democracy आप विपक्ष को भी बुलाईये।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आपको पसीना आ रहा है।

Sh. Anil Vij: Speaker Sir, you must be lenient. आप अब के सै ान से बहुत लिनियेंट रहे हो। आपके व्यवहार को देखकर बहुत अच्छा लगा। बदले–बदले से सरकार नजर आते है... इसके आगे की लाईन मैं आपको नही कहना चाहता। वैसे तो आप बहुत बदले हुए हो बस थोड़ा सा आखिरी दिनो में कुछ सख्त हो गये। मैं सदन के नेता को भी निवेदन करता हूं कि विपक्ष को वापिस बुलाईये। बिना विपक्ष डैमोक्रेसी चल नही सकती। Please Sir, it is in the interest of healthy democracy.

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जब आप आप मेरे काबिल दोस्त से पूछ रहे थे तो मैं भी सुन रहा था कि क्या इनके पास उनका मैंडेट है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, इन्होने तो कहा भी है कि इनके पास उन लोगों का मैंडेट है।

श्री अनिल विज :स्पीकर सर, मैंने यह कहा है कि मेरे पास अपने क्षेत्र का मैंडेट है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, यदि इनके पास उन लोगो का मैंडेट नही है तो क्या यह उन लोगो की तरफ से कोई आ वासन दे सकते हैं। अगर आ वासन दें कि जो उन्होने चेयर के प्रति एसपर्सन्स किए हैं, वे उनको विदड्रा कर लेगें, जो

अभय सिंह चौटाला ने कहा वह आकर के सदन में उस बात के लिए माफी मांग ले तो आप बुला लें हमे कोई एतराज नही है। अगर यह उनकी जिम्मेवारी लेते है तो मैं इन काबिल दोस्त की बात पर वि वास करता हूं।

श्री अध्यक्ष :विज साहब, आप अगर जाकर उनसे पूछ भी लो, अगर वे लोग जैसाकि लीडर ऑफ द हाऊस ने कहा है करने के लिए तैयार हैं तो हमे कोई एतराज नही है वह सदन में आ सकते हैं।

श्री अनिल विज : ठीक है सर।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, पहले तो आप यह बताये कि क्या आप खुद यह बात अप्रूव करते है? आप रूकिये लीडर ऑफ द हाऊस कुछ कहना चाहते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, अगर विज साहब के पास उन लोगों का मैंडेट नही है तो या साफ झलकता है कि इनकी भी मं ाा यह है कि हाऊस को नही चलने देना है। ये चाहते है। कि उनको बुला लेते हैं और फिर हाऊस को नही चलने देंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि हाऊस चलाने में लोगों का ही पैसा लगता है। लोग हमारी तरफ देख रहे है। अगर आप उन लोगों की जिम्मेवारी लेते है तथा हाऊस सुचारू रूप से चलता है तो फिर हमे उनके यहां आने में कोई एतराज नही है। उन्होने चेयर के लिए जो बता कही, वह ठीक है? आप भी मेरे साथ सदन

के सदस्य रहे है। पहली दफा हमने चेयर के प्रति एक अ ाोभनीय भाब्दो का प्रयोग करते हुये देखा है। चेयर के प्रति ऐसे अभद्र लफ्जो का इस्तेमाल करना कोई भाोभनीय बात नही है। अगर हम चेयर के प्रति सम्मान नही रखेगें तो हाऊस कैसे चलेगा। अगर विज साहब आप उनकी जिम्मेवारी लेते हैं कि वह लोग यहां आकर माफी मांग लेगें तो मैं अपने दल की तरफ से आपको वि वास दिलता हूं कि उनके सदन में आने पर हमे कोई ऐतराज नही है।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, कल अपोजी ान के लोगो ने जो चेयर के प्रति टिप्पणी की है, क्या आप उसका समर्थन करते है।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं सहमत नही हूं।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, उन्होने जो कल चेयर के प्रति टिप्पणी की क्या आप उसको कंडैम करते है? आप यस और नो में उत्तर दो।

श्री अनिल विज : स्वीकर सर, let me say now. सर मैं उनसे सहमत नही हूं। सदन में भाशा पर नियंत्रण बहुत जरूरी है।

Mr. Speaker : Do you condemn such a behavior?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, इन द हीट मोमैंट अगर कुछ इस्तेमाल हो जाये तो तिल का तार नही बनाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, हीट ऑफ मोमैंट नही उन लोगो ने कहा था कि जो बात उन्होने कही है वह उस पर कायम हैं और किसी कीमत पर अपने भाब्द वापस नही लेंगे।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, आप लोकसभा में देखें वहां कितने दिनो से गतिरोध है लेकिन एक भी आदमी को सदन से बाहर निकाला गया। आप अन्दर बैठकर समाधान करें। आप उन लोगो को बुलाये।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, क्या आप यह चाहते है कि उनको अन्दर बिठाकर चेयर को गालियां दिलवायें।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, जब आपके चैंबर में मीटींग हुई थी तो आपने बड़ी अच्छी भ्रुरूआत की थी.....

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : लीडर ऑफ द हाऊस ने अपनी बात साफ कर दी है कि अगर आप उनकी जिम्मेवारी लें तो हम उनको बुला लेंगे। अब विवाद का तो कोई प्र न ही नही रहा है।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप उनसे जाकर पूछ आयें कि are they ready to eat back their words वह लोग पार्लियामैंट और सदन की गरिमा की बात करते हैं, क्या उस गरिमा के तहत वह उन भाब्दो को वापिस लेंगे? क्या वह लोग माफी मांगेंगे? मुझे कस्टोडियन ऑफ द हाऊस कहा जाता है उन्होने एक वाल्मीकि सदस्य को जातिसूचक भाब्द कहकर उसका अपमान किया। एज ऐ

कस्टोडियन ऑफ द हाऊस यह मेरा फर्ज है कि किसी सदस्य को जातिसूचक भाब्द न कहे जायें और धमकाया न जाये। आप जिन लोगो की वकालत कर रहे हो आप उनसे पूछकर आयें कि क्या वे माफी मांगने के लिए तैयार हैं।

Sh. Anil Vij: Sir, I am not advocating anybody. I want to amke it clear that I am advocating for the health of democracy.

श्री अध्यक्ष : विज साहब, न आपके पास मैंडेट है, न आपको किसी ने कहा कि उनकी बात सदन में उठाये। आप हैल्थ ऑफ डैमोक्रेसी की इतनी बात कर रहे हो तो जो उन लोगो ने यहां सदन में आचरण किया क्या आप उसे कंडैम करते हो? आप हां या ना में उत्तर दीजिये। Have you condemn? Do you approve or condemn? आपका किनता इंट्रस्ट है डैमोक्रेसी में?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं ऐसे भाब्दो को पसन्द नही करता।

Mr. Speaker: Do you approve or condemn? it shows your own character as a politician.

Sh. Anil Vij: Sir, I don't Like such harsh words.

Mr. Speaker : Vij ji, harsh words. This is broadbiting of the chair. Chair can't be broadbitten.

श्री अनिल विजःसर, मैं एग्री करता हूं कि ऐसे भाब्द इस्तेमाल नही होने चाहिए।

श्री अध्यक्षःविज जी, आपके पास भाब्द हैं ही नही कि आप ऐस बर्ताव को कंडैम करें और फिर भी आप यहां पर बड़े–बड़े डैमोक्रेसी के हवाले दे रहे हो।

श्री अनिल विजःस्पीकर सर, मैं कह तो रहा हूं कि मैं ऐसे भाब्दो को पसन्द नही करता।

श्री अध्यक्षःसम्पत सिंह जी, आप विज साहब को डैमोक्रेसी के बारे मे समझाईये।

श्री अनिल विजःस्पीकर सर, मैं कह तो रहा हूं कि मैं ऐसे भाब्दो को पसन्द नही करता है।

श्री अध्यक्षः विज साहब, आप कंडैम क्यों नही करते? आपका हाऊस में इस तरह का व्यवहार भाोभा नही देता है। आपको ऐसा नही करना चाहिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महादेय, हाऊस का दस मिनट का बे ाकीमती समय जाया हो चुका है। अनिल विज जी से मेरा अनुरोध है कि वे जाकर उनसे बात कर लें। (ाोर एवं व्यवधान) लोकदल की जिम्मेवारी इन्होने ली है, आप जायें, उनसे बात कर ले। (ाोर एवं व्यवधान)

प्रो0 संपत सिंह : सर, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि न तो कल विज साहब ने उनके बिहैवियर और कंडक्ट को कंडम किया और न ही आज कर रहे है। इन बातो को भाब्दो के

जाल में फंसाने की क्या जरूरत है। ये केवल यस और नो कह दे कि Either they are condemning or not? बात खत्म हो गई है। उसके बावजूद ये कंडम नही कर रहे है तो हमे बड़ा अफसोस होता है यह अपमान आपका नही हुआ है बल्कि ईच एंड ऐवरी मैंबर का अपमान हुआ है। विज साहब का भ्झी अपमान हुआ है और अगर आदमी अपने अपमान का भी कंडम न करे तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई और हो नही सकती है। जब तक वे यहां आकर माफी नही मांगते तक तक हम मानने वाले नही है। स्पीकर सर, चाहे आप फिराखदिली उनको बुला भी लें लेकिन चेयर के प्रति जो भाब्द उन्होने कहे हैं उनके लिए उन्हे आपसे माफी मांगनी पडेगी और उन्हे हाऊस से भी माफी मांगनी पड़ेगी। स्पीकर सर, हम इस बात को टोलरेट नही करेंगे और अगर आप बिना माफी मांगे उन्हे बुला लेंगे तो हम जाकर गैलरी में बैठ जायेंगे। यह चेयर का, हम सक मैम्बर्ज का और सारे हाऊस का अपमान है। अगर आपका व्यक्तिगत तौर पर अपमान हुआ तो हम मान भी लेते। चेयर सबसे बड़ी चीज है अगर चेयर का अपमान करेंगे तो यह डैमोक्रेसी कहां रह जायेगी। (ाोर एवं व्यवधान)।

श्रीमति सुमिता सिंहः अध्यक्ष महोदय, 24 अगस्त 2012 को सै ान का पहला दिन था उस दिन भी चौटाला साहब ने हम सभी सदस्यो की बेइज्जती की थी और हमे बे ार्म कहा था। उसमें हम महिलाएं भी है, हमारे कुी बुजुर्ग साथी भी यहां हैं। हम सबको बे ार्म कहा, अगर उसी दिन आप उनसे यहां माफी मंगवा

लेते तो आज यह पोजी ान नही आती और वे आपके प्रति भी ऐसे भाब्द न कह पाते। अगर बार–बार आप उन्हे ऐसे ही छोड़ेंगे तो वे ओ चलकर इससे भी ज्यादा वाहियात भाशा का इस्तेमाल कर सकते है। स्पीकर सर, पिछले एक सै ान के दौरान आपने अनिल विज जी को सस्पैंड रकिया था तक उन्होने अनिल विज जी की तरफ से हाऊस के अन्दर कहा था कि हम हाऊस के अन्दर वि वास दिलाते है कि वे फिर से ऐसा नही करेंगें। (विघ्न) उस दिन जो भी इन्होने हरकत की, हमारे पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी इनको बुलाने नही गए थे। उन्ही में से एक मैंबर जाकर इनको बुलाकर लाया था। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, हम क्वै चन ऑवर का समय बर्बाद कर रहे है। विज साहब जाये और उनसे बात कर लें। कोई दिकक्त नही है। लीडर ऑफ दि हाऊस भी कह रहे है।

श्री अनिल विजः वे आगे से ऐसा नही करेंगे यह मैं भी कहता हूं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मि0 विज, आप जाइए और उनसे बात कर आइए। लेकिन वे आकर के सदन से माफी मांगें। मेरी इन भाब्दो से न बेईज्जती होती है न इज्जत बढ़ती है। I am what i am. It is the House which has been insulted and Shri Jaiveer Singh is a poor man from Balmiki Community उसको जाति सूचक भाब्द

कहे गए है। (विघ्न) मेरा कोई मतलब नही है। (ाोर एवं व्यवधान) उन्होने कहा था कि वे माफी मांगेंगे। अच्छी माफी मांगी उन्होने।

श्री अनिल विज:वे आगे से ऐसा नही करेंगे यह मैं भी कहता हूं।

Sh. Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, this is a running dialogue it will never end. Leader of the House has given him offer and he should go and talk to him. let shri om Prakash Chautala and Shri Abhay Singh Chautala come and get reprimanded in teh well of the House.

श्री अनिल विज:उन्हे क्या कह कहकर आना है मैं कहकर आता हूं।

Mr. Speaker: First of all Shri Abhay Singh Chautala should come here and get reprimanded for his counduct in the House for the words spoken to the Members and assure the Chair in the future he will not repeat such things. (Interuption)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : विज साहब आप खुद कह रहे है कि मैं सहमत नही हूं। आप खुद सुन रहे थे कि उन्होने क्या कहा है। फिर क्लेरिफिके ान का क्या है? He Should eat back his words.

Mr. Speaker: Not only this CM Shaib He should not only apologize to the entire House but also promise to the

House that he will not misbehave in the House in future. Vij Sahib please go and to them.

Public Health Minister (Smt. Kiran Choudhary) : Speaker Sir, what happened yesterday in the House was unprecedented. I mean to say that it has never happened in the history of any Assembly that when the Chair asks the leader of the Opposition to withdraw his words, but he instead adds insult to injury and repeats to Chair that he wil not take back his words and emphasises that he will say so a 100 times more. So, Sir this kind of behaviour takes away from the sacrosanctness of this august House. Sir, we should not allow this kind of things to happen in the House because it is setting a precedent which will be detrimental to teh running of the Assembly. This time you have to deal very strictly with these people hecause democracy is at stake at such unruly behaviour. It is not the question of just you, it is the question of this august Chiar that you are occupying. This Chiar is not given the due privilege and due honour that is required under Parliamentary norms. I don't think that it would be fit to recall thiem as one Hon'ble Member of the B.J.P. has requested as it will denigrate the very basis of this august House.

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)

श्री भारत भूषण बतराः स्पीकर सर, आने वाले समय में होटल इण्डस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल रहेगा और हमारे यूथ को बहुत बड़ी हम्लॉयमैंट इससे मिलेगी। सबसे पहले तो जितने टूरिस्ट्स शिमला, जयपुर और आगरा जाते हैं अगर हमारे यहां

अच्छे एट्रैक्टिव टूरिस्ट प्वायंट होंगे तो हमारे यहां भी टूरिस्ट्स ज्यादा आ सकते है। पहले डबचिक टूरिस्ट कम्पलैक्स बहुत अच्छा टूरिस्ट प्वायंट होता था लेकिन आज वहां से गुजर जाए, यह पता नही चलता कि वहां पर डबचिक प्वायंट नाम का कोई होटल या मोटल कुछ चल रहा है या नही। वहां पर एक एट्रैक्टिव और स्ट्रेजिक प्वायंट होना चाहिए और सारी फैसेलिटीज वहां पर होनी चाहिए। डबचिक टूरिस्ट काम्पलैक्स की इम्प्रूवमैंट करनी चाहिए। जहां तक ओयसिस टूरिस्ट काम्पलैक्स की बात है तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि दिल्ली से पंजाब, अमृतसर और शिमला को जो ट्रैफिक जाता था उनके लिए हरियाणा टूरिज्म का ओयसिस टूरिस्ट काम्पलैक्स सबसे चार्मिंग प्वांयट होता था इसलिए उसकी रैनोवेशन के लिए सिर्फ 27 लाख रूपये बहुत कम हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हरेक कंट्री, हरके स्टेट टूरिज्म पर डिपैंड करने जा रही है। हमारी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है उस पोजीशन के हिसाब से हमें टूरिज्म पर मैक्सीमम थ्रस्ट करना चाहिए और इसके लिए एक स्पैशल बजट और पैकेज का प्रोवीजन करके इसको और ज्यादा फलोरिश करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी यह डिमांड है कि ओयसिस टूरिस्ट काम्पलैक्स के लिए जो पैसा दिया गया है वह इनसफीशियंट है और डबचिक टूरिस्ट काम्पलैक्स की भी इम्प्रूवमैंट होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से कहना चाहता हूं कि टूरिज्म का प्रश्न पर्टीकूलर था कि "Whether there is any Planning of Tourism Corporatoin to Attract more and more tourists in the State....." इसलिए मैं

पूछना चाहता हूं कि इसके बारे में गर्वमैंट क्या स्वस्टैंशियल स्टैप लेने जा रही है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के ओयसिस और डबचिक टूरिस्ट कॉम्पलैक्स के बारे में सुझाव मैंने नोट कर लिए है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य और सदन के बताना चाहूंगा कि आज टूरिज्म सैक्टर के काफी ग्रोथ आई है। इसके अलावा कन्वैंशन सैंटर, बैंक्वेट्स हॉल में भी काफी ग्रोथ आने की सम्भावना है। यह भी एक जोब ओरियंटिड सैक्टर होने जा रहा है। जोब ओरियंटिड, ग्रोथ ओरियंटिड और नीड बेस्ड ये तीनो चीजे आज के हालात के अंदर जरूरी भी है। इन्ही बातो को ध्यान में रखकर हमने एक नया इनीशिएटिव नए कन्वैंशन सैंटर्ज क्रिएट करने का लिया है। सूरजकुण्ड में एक नया कन्वैंशन सैंटर तैयार कर लिया गया है। तिलयार टूरिस्ट कॉम्पलैक्स, रोहतक में एक खूबसूरत कन्वैंशन सैंटर बनाया गया है। भिवानी में भी इसी प्रकार से एक कन्वैंशन सैंटर तैयार किया गया है। होडल और धारूहेड़ा टूरिस्ट कॉम्पलैक्सिज जिनकी माननीय सदस्य ने चर्चा की कि वहां वोर्डर ट्रैफिक जाता है, वहां पर बहुत सी इंडस्ट्रीज भी आ गई हैं। इंडस्ट्रीज के लोग कन्वैंशन के लिए, बैंक्वट हॉल के लिए और छोटे–छोटे एवं बड़े–बडे गैट टू–गेदर्स के लिए हमारे रिसोट्र्स का ही इस्तेमाल करते है इसलिए वहां पर भी दो कन्वैंशन सैंटर्स बनाए गए है। चूंकि पंचकूला भी इस पूरे रीजन का महत्वपूर्ण भाग

है इसलिए लगभग 60 करोड़ रूपये की लागत से रेड बिशप टूरिस्ट काम्पलैक्स के अन्दर एक नया कन्वैंशन सैंटर हम और एड करने जा रहे है। इसी प्रकार यमुनानगर जोकि उतर प्रदेश का गेटवे है और अद्योग धन्धो और विकास के लिए जाना जाता है इसलिए वहां पर भी 5 करोड़ 45 लाख रूपये की लागत से हम एक कन्वैंशन सैंटर फ्लैमिंगो टूरिस्ट काम्पलैक्स में भी हम 7 करोड़ 14 लाख रूपये की लगत से एक कन्वैंशन सैंटर बनाने जा रहे है। इसके अलावा हम यमुनानगर में लड़के और लड़कियों के होटल के साथ एक इस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमैंट लगभग 10 करोड़ रूपये की लागत बनायेंगे। फ्लैमिंगो टूरिस्ट कॉम्पलैक्स हिसार में ही 20 कमरो का एक ओर मोटल बनायेंगे। क्योंकि वहां से जो सारा ट्रैफिक राजस्थान जायेगा। उनके लिए सिरसा और हिसार के ही हमारे ये दो रिसोटर्स महत्वपूर्ण है। इसलिए 5 करोड़ 23 लाख रूपये की लागत से इस मोटल में पार्किंग बना रहे है। इसी प्रकार से सुरखा टूरिस्ट कॉम्पलैक्स सिरसा के अंदर भी 12 कमरो का एक मोटल और इसके साथ–साथ पार्किंग इत्यादि 3 करोड़ 56 लाख रूपये की लागत से हम बना रहे है। इसी तरह से जहां–जहां भी जरूरत है उसके मुताबिक हम टूरिस्ट काम्पलैक्सिज एड करने की कोशिश कर रहे है। माननीय सदस्य के दोनो सुझाव मैंने नोट कर लिये है।

Mr. Speaker: Hon'ble Minister, have you ever thought of exploting the Tourism potential of Narnaul?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छा सुझाव है। नारनौल का भी अपना एक इतिहास रहा है। हरियाणा की पूरी पुष्ठभूमि में नारनौल एक महत्वपूर्ण सैंटर है। आलरेडी आर्कोलोजी और कुरूक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड का ध्यान नारनौल के ऊपर है। मेरे काबिल दोस्त राव नरेन्द्र सिंह जी इस विधान सभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे है।

Mr. Speaker: But there is no Haryana Tourism Facility in Narnaul. When i went to Narnaul last time, I saw some foreign tourists also there. Only private restaurants and private hotels are cattering there.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, वहां प्राइवेट पार्टनशिप मोड़ में एक फर्दर डिवैल्पमैंट करने का हमारा विचार है। वहां के विधायक हमारे साथी राव नरेन्द्र सिंह जी जो मंत्री भी है, उन्होने माननीय मुख्य मंत्री महोदय से इस बारे में चर्चा भी की थी and the proposal is under active consideration. We hope by the next Session, we will have something more concrete to say.

Mr. Speaker: Hon'ble Minister is similarly any proposal for Ethinic India Tourist Complex in Rai? There should be a convention centre also because it is in close proximity to Delhi. It is also very close to the industrial Model Town.

Shri Randeep Singh Surjewala: Suggestion noted Sir. Now the education city is also coming almost bank apposite it.

Mr. Speaker: Therefore, we need to have extensive work done in Ethnic at Rai. We must have expansion plan for it.

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, Ethinic is one of our finest tourism complexes. This has special infrastructure like huts etc. But the suggestion is very Valuable coming form the Chair. it is noted Sir. Subject to our budgetary constraints, we shall look into it on priotiry.

श्रीमति सुमिता सिंह:अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि करनाल में हरियाणा टूरिज्म का जो ओयसिज टूरिस्ट काम्पलैक्स है, फास्ट फूड है और करनाल लेक है, इनके सैनीटेशंज और वहां पर जो बडे–बडे गार्डन है क्या उनकी मेनटीनैंस का काम प्राईवेटाईज करने पर सरकार विचार कर रही है? अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहती हूं कि सरकारी विभागो की जो भी कान्फ्रैंसिज या मीटिंग्ज होती है, वे प्राईवेट होटल्ज में करते है क्या उनको भी सरकार ने हिदायते दी है कि वे अपने नजदीक लगते टूरिज्म के काम्पलैक्सिज में अपनी मीटिंग्ज और कान्फ्रैंसिंज करे? हमारे सरकारी विभाग भी अपने प्रोग्राम प्राईवेट होटल्ज में करते है, टूरिज्म के काम्पलैक्सिज में नही जाते। हमारे जो सरकारी आफिसर है या मिनिस्टर्ज है वे भी प्राईवेट होटल्ज में ही

जाते है। इसलिए लोगो पर भी यही इम्प्रैशन पड़ता है कि टूरिज्म के काम्पलैक्सिज की हालत अछछी नही है और वे लोग भी उनमें नही जाते। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि हमारे जितने भी सरकारी विभाग है उनको हिदायतें जारी की जाये कि प्राईवेट होटल्ज की बजाय वे अपने साथ लगते टूरिज्म के काम्पलैक्सिज और कन्वैंशन हॉल्स में ही अपने कार्यक्रम रखे।

राव दान सिंहःअध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने अभी हरियाणा टूरिज्म के बहुत सारे रिजोटर्स के बारे में सदन के पटल पर जानकारी दी है। इसी संदर्भ में मैं एक–दो सुझाव देना चाहता हूं। हरियाणा में बहुत ज्यादा हिस्टोरीकल मोन्यूमैंटस और हिस्टोरीकल प्लेसिज नही है and we have created tourism out of nothing. लेकिन हमारा एरिया राजस्थान के साथ लगता है और हम देखते है कि राजस्थान में बहुत सारे हिस्टोरीकल मोन्यूमैंटस है। वहां की हवेलियो को भी हैरीटेज होटल्ज में कंवर्ट कर रखा है और वहां पर बहुत संख्या में फोर्नर आते है। हमारा क्षेत्र महेन्द्रगढ़ और नारनौल राजस्थान के साथ लगता है। कुछ दिनो पहले हमारे वहां पर पर जो किला है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पी.पी.पी. मोड़ पर हैरीटेज होटल बनाने के लिए ई.ओ.आई. के शायद निर्देश किए है। नारनौल में बहुत सारे हिस्टोरीकल मोन्यूमैंटस है। मै। समझता हूं कि इन सबको अच्छी तरह से देखकर यदि हैरीटेज में विकसित किया

जाता है तो उस एरिया में भी बहुत सारे जो बाहर से टूरिस्टस आते है उनको लुभाया जा सकता है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा मे टूरिज्म के बहुत जबरदस्त मोन्यूमैटस है जिनको हमारी सरकार विकासित कर रही है। इसमे मेरा सुझाव है कि नारनौल साईड के लिए पिछली योजना मे एक प्लान था कि उसको भोखावटी याक के अन्दर इन्क्लूड किया जाये। यदि वह एरिया भोखावटी याक के अन्दर भारत सरकार द्वारा इन्क्लूड किया जाता है तो पूरे के पूरे जो नारनौल के मोन्यूमैंटस है जो बहुत ऐतिहासिक है बहुत पुराने है वे भी उसमे आटोमैटीकली आ जायेगे। जो माधवगढ की फोर्ट है वह बहुत ही पुरानी फोर्ट है। वह 16 टी0एच0 सैचूरी की फोर्ट है। वह फोर्ट भी उसके अदन आ जायेगी और उस पूरे इलाके को भोखावाटी वाक की तरह राजस्थान की तर्ज पर बहुत सुंदर तरीके से विकसित किया जा सकता है। मै माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहंगी कि उसको दोबारा से रीजूवनेट किया जाये।

श्री सम्पत सिंहः स्पीकर सर, अभी मंत्री जी ने सभी सडको के बारे मे जिक्र कर दिया। इस बारे मे यही सजै ान मै भी देना चाहता था यह सजै ान आपने देकर बहुत अच्छा किया। इसके अलावा मै यह कहना चाहता हूं कि मै एथैकिन इडिया के बारे यह मानता हू कि यह सरकार का बहुत बढिया टूरिस्ट काम्पलैक्स है। उसके अंदर 200 परसैंट तक की बुकिग चलती है लेकिन एक बात मे इसकी सर्विसिज के बारे मे कहना चाहता हू।

यह काम्पलैक्स है रीटेज टाईप का बनाया हुआ है जिस कारण इसकी सर्विसिज उतनी फास्ट और अच्छी नही है जितनी कि अच्छी और फास्ट होनी चाहिए। इसलिए मै यह चाहता हू कि उसकी कैटिन वगैरह को रैनोवेट करके माडर्न बनाये जाये इसके लिए अगर मंत्री जी विजिट करके उसकी सर्विसिज को सुधारने तो उसका कोई मुकाबला नही होगा। कवै ान हाल का तो आपने यह कह दिया यह भी अच्छी बात है। इसके साथ ही मै यह भी चाहता हूं कि कुरूक्षेत्र मे यनिवर्सिट भी है, डाक्टर लोग भी वहा पर आते है। धार्मिक आस्था से जुडे लोग भी वहा आते है और साथ मे यह हाईवपर भी स्थिति है इसलिए यह पर भी एक कवै ान हाल बनाचा जाना चाहिए जो कि बहुत बढिया रहेगा। इसके अतिरिक्त मै एक बात और भी कहना चाहूगा कि एक रोड को बिल्कुल अछूता छोड दिया गया है जो कि रणदीप जी की रोड भी है और हमारी रोड है अम्बाला से हिसार और फिर आगे राजस्थान के राजगढ और जयपुर तक। इस रोड पर कही पर भी कोई ढग का टूरिस्ट काम्पलैक्स नही है सिर्फ एक पेहवा का आता है जो कि बाहर एक जंगल है। इसके अलावा एक नरवाना मे था जो कि अब रैस्ट हाऊस मे बदल गया है।

श्री अध्यक्षः सम्पत जी, सरकार का एक टूरिस्ट काम्पलैक्स कैथल मे भी है।

श्री सम्पत सिंहः स्पीकर सर, कैथल का भाहर के अन्दर हो गया है क्योकि कैथल मे बाई पास बनने के कारण सभी

ट्रैफिक बाहर से जाता है। इसलिए मै मंत्री जी ने निवेदन करना चाहूंगा कि इस रोड पर कही एक अच्छी सी सूटबल जगह देखकर चाहे वह ओयसिस टाईप का ही हो एक बढिया सा टूरिस्ट काम्पलैक्स अव य बनाये जो कि बहुत अच्छा चलेगा और इससे लोगो को सुविधा भी होगी। इसके अलावा मै यह कहना चाहता हू कि सुरजकुण्ड के मोटल का एक्सपै ान वर्क रूका हुआ है। इस मोटल के अंदर काफी कमरे एडी ान किये जा रहे थे जिनकी छते लग चुकी है और दूसरे भी लगातार सारे काम हो चुके है उसके बावजूद भी यह बिल्डिंग यू को यू ही पडी है मुझे इस बात का भाक है कि भाायद इसका कम एनर्वोयरनमैंट एण्ड फारेस्ट मिनिस्ट्री के हस्तक्षेप के कारण रुका हुआ होगा क्योंकि उस पर काफी ज्यादा खर्चा हो चुका है। इसलिए मै यह चाहता हूं कि प्रयास करके मंजूरी लेकर और जरुरी अप्रूवल लेकर इस बिल्डिंग के काम को चालू करवाकर इसको पूरा करवाया जाये क्योंकि वहां पर अकामोडे ान की बहुत ज्यादा जरुरत रहती है। कई बार हम देखते है कि वह आज बडी दयनीय स्थिती में है। सरकार का उसके उपर बहुत ज्यादा खर्चा भी हो चुका है।

श्री देवेन्द्र कुमार बंसलः स्पीकर साहब, जो नये फूड सैन्टर आ गये है जैसे मैकडोनल्ज़ है और डोमिनल्ज़ है, ये छोटे छोटे भाहरों तक पहुंच गये है, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या हरियाणा टूरिज्म द्वारा भी इन फूड आईटम्ज को अपनी फूड लिस्ट में एड किया जा रहा है? इसके

अलावा मै एक बात और यह कहना चाहता हूं कि जब हम दिल्ली से आते हैं तो करनाल में ओयसिस टूरिज्म काम्पलैक्स के पास सडक में कोई भी कट नही है। अगर हमें ओयसिस टूरिज्म काम्पलैक्स के लिए टर्न लेना है तो हमें काफी आगे जाकर मुडना पडता है। क्या मंत्री महोदय वहां पर ओयसिस के आस–पास सडक में कोई कट बनवाने के बारे में विचार करेंगे?

श्री प्रहलाद सिंह गिलांखेडाः स्पीकर साहब, मै भी आपके माध्यम से एक सुझाव माननीय मंत्री महोदय को देना चाहता हू कि फतेहाबाद के अंदर सरकार का एक बहुत छोटा सा टूरिज्म सैंटर बना हुआ है जो कि मात्र दो कमरो का है। जैसा कि आप सबको पता है कि फतेहाबाद में जल्दी ही बिजली का परमाणु संयंत्र स्थापित होने जा रहा है जिसमें कम से कम 18000 कर्मचारी होंगे। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनो से अनुरोध है कि वहां पर एक बहुत अच्छा और बढिया टूरिज्म काम्पलैक्स बनवाने का कश्ट करें ताकि आने वाले समय में उससे आस–पास के लोगों और कर्मचारियों को सुविधा हो। अगर इसका काम जल्दी से जल्दी भाुरु किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री आफताब अहमदः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने ऐतिहासिक स्थानों के बारे में कहा है इसलिए मै भी यह कहना चाहता हूं कि हमारी धार्मिक आस्थाओं के भी बहुत से केन्द्र

हैं वहां पर भी टूरिज्म काम्पलैक्स का निर्माण किया जाना चाहिए। जैसे हमारे फिरोजपुर–झिरका में एक झिर का मंदिर है जो कि बहुत ही प्राचीन है, साथ में वह ऐतिहासिक महत्व भी रखता है और इसके साथ साथ लोगों की धार्मिक आस्थाओं का भी वह केन्द्र है। यह मंदिर पहाडों पर स्थित है अगर जमीन भी अवेलेबल है तो वह गवर्नमैंट या फारेस्ट डिपार्टमैंट की हैं। इस प्रकार की जगहो पर भी टूरिज्म काम्पलैक्स की पासीबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाये क्योंकि वहां पर भी टूरिज्म का एक बहुत बडा सैन्टर विकसित हो सकता है। इसलिए मै चाहूंगा कि माननीय मंत्री इस बारे में विचार करें ताकि टूरिज्म डिपार्टमैट इस प्रकार के ऐतिहासिक, प्राचीन और धार्मिक आस्था के केन्द्रो को भी एक्सप्लोर करने के बारे में एक्सरसाईज़ करें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्र न है और इस बारे में बहुत सारे साथियों के वेल्युएबल सुझाव आये है। I will try to answer them one by one. श्रीमती सुमिता सिंह जी ने यह पूछा कि करनाल टूरिज्म काम्पलैक्स की मैन्टेनैंस और पार्क्स वगैरह की देख रेख, क्या हमने किसी प्राइवेट एजेन्सी को दे दी है या देने वाले हैं? Sir, the answer is in negative. We have not given the maintenance or the upkeep of parks to any private agency. It is being maintained by the Department of Tourism. सर, दूसरा प्र न उन्होने पूछा कि क्या हमने ऐसी हिदायतें दी हैं कि सरकार के जो विभाग है या बोड्र्स, कार्पोरे ान है अगर वे अपनी कन्वैन् ांस या

मीटिंग्स करें तो वे ज्यादा से ज्यादा हरियाणा टूरिज्म कार्पोरे ान की फैसलिटीज को इस्तेमाल करें। सर, इस बारे में हम पहले ही सभी विभागों को हिदायतें इ यू कर चुके हैं। It's a valuable suggestion. Government Departments must as far as possible should continue use to facilities of the Haryana Tourism Corporation which are outstanding. We will issue fresh instructions also in this regard. सर, राव दान सिंह जी ने और उसके बाद श्रीमती किरण चौधरी जी ने दोनो ने बडे वैल्युएबल सुझाव दिये हैं। Regarding Mahendergarh as well as Madhogarh Fort. सर, ऑलरेडी इन दोनो पर डिसीजन हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मै आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि महेन्द्रगढ फोर्ट और माधोगढ फोर्ट दोनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरि ाप मॉडल पर डिवैल्प करने का निर्णय सरकार ले चुकी है और सरकार यह भी निर्णय ले चुकी है कि ये भोखावाटी वॉक का हिस्सा होंगे। इसी प्रकार से नारनौल के विशय में यहां पर स्पेसिफिक्ली चर्चा आई थी तथा आपने एक प्वाइंटिड क्वे चन पूछा था। नारनौल के लिए म्युनिसिपल कमेटी ने जमीन दे दी है और वहां पर एक टूरिज्म काम्पलैक्स डिवैल्प करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरि ाप माडल में इस समय प्रकिया जारी है। इस बारे में हमने नगरपालिका से अनुरोध किया था और मंत्री जी को भी हमने कहा था, वह जमीन हमें दे दी गई है। सूरजकुण्ड के बारे में यहां श्री सम्पत सिंह जी ने चर्चा की थी। सूरजकुण्ड मे जो हमारा काम चला था उस पर आर्कोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के

ऐतराजात के बाद हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है और इस समय मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ श्री सम्पत सिंह जी ने यह भी रेज किया कि राई में हमारा जो ऐथनिक रिजोर्ट है जो कि आपके हल्के के आस–पास या उसका हिस्सा ही है, उसमे सर्विसिज एक्सपीडाइट होनी चाहिए। सर, मैने वह सजै ान नोट कर लिया है। इसके अलावा आपने यह सुझाव भी दिया कि अम्बाला से हिसार के बीच में पेहवा का टूरिज्म कॉम्पलैक्स जो भाहर से बिल्कुल बाहर है, उसको छोडकर ओर कोई भी टूरिज्म कॉम्पलैक्स नही है। मै माननीय चौधरी सम्पत सिंह जी को बताना चाहूंगा कि कोयल का टूरिज्म कॉम्पलैक्स जो कैथल में है यह बात तो ठीक है कि वह भाहर के अन्दर आ गया है लेकिन वहां पर भी अब 6 एडि ानल रुम्ज हम लोकल रिक्वायरमैंट के मुताबिक एड कर रहे है परन्तु आपका सुझाव वाजिब है। मै माननीय श्री सम्पत सिंह जी को आ वस्त करना चाहूंगा कि सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इसी रोड पर कहीं न कहीं उकलाना–बरवाला से अम्बाला के बीच में अगर कैथल के आसपास कहीं भी जमीन उपलब्ध हुई तो एक और टूरिज्म कॉम्पलैक्स हम नै ानल हाईवे पर डिवैल्प करने का प्रयास करेंगे। I assure Hon'ble Member for this Sir. इसके साथ साथ श्री डी.के. बंसल जी ने ओएसिस टूरिस्ट कॉम्पलैक्स की चर्चा की और यह कहा कि यहां पर एक कट की आव यकता है। उनकी बात बिल्कुल सही है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस बारे में श्री सी. पी. जो ाी जी, जो युनियन सर्फेस ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर है, उनको

एक पत्र भी लिख चुके हैं। हमारे पी. डबल्यू. डी. (बी एण्ड आर) तथा टूरिज्म के अधिकारी इस बात की पैरवी कर रहे है। हमें उम्मीद है कि इस कट की हमें जल्दी ही सब्जैक्ट टू ट्रैफिक रिक्वायरमैंट सैक ान मिल जायेगी। सर, श्री प्रहलाद सिंह गिलांखेडा जी ने जो बताया है कि बहुत जल्दी गोरखपुर में डॉ. मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के आि ार्वाद से भारत सरकार एक बडा न्युक्लियर पॉवर प्लांट जो हरियाणा की तस्वीर बदलेगा, मंजूर हुआ है और जिसमें लगभग 25000 करोड रुपए से ज्यादा की इनवैस्टमैंट आयेगी और लगभग 18000 कर्मचारी आयेंगे, वहां टूरिज्म कॉम्पलैक्स की बात की है। सरकार ने ऑलरेडी निर्णय कर लिया है वहां पर जगह उपलब्ध है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनाि र्प मॉडल में वहां पर नया टूरिज्म कॉम्पलैक्स हम डिवैल्प करेंगे। मामला इस समय एक्टिवली सरकार के विचाराधीन है। मूलभूत तोर से इस पर हम निर्णय ले चुके हैं। सर, आफताब अहमद जी ने जो रिलिजियस सार्किट है उसको डिवैल्प करने की बात कही, ऑलरेडी कुरुक्षेत्र डिवलैपमैंट बोर्ड और टूरिज्म कार्पोरे ान ओर जहां समय समय पर बजट की स्पोर्ट कीभी रकार से जरुरतपडती है तो वहां भी हम इसके बारे में इसको लेकर मुस्तैद है और पूरे रिलिजियस सर्किट को हम डिवैल्प कर रहे है। मै माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी कुछ काम हमने इस पर किए भी है। जैसे पिंजौर गार्डन और भीमा देवी टैंपल जो है यह हैरिटेज इनसटिच्यू ांज है। सर, इन दोनो को हमने ऑलरेडी पिछले सालो के अन्दर

डिवैल्प किया है और कई नये प्रोजैक्ट इस समय हमारे पास है जो हम दस समय टेकअप कर रहे है। including renovation of fountain channel, ramp, paths, Jal Mahal, cross channel water re-circulation, music system etc. in Yadvindra Gardens at Pinjore.

Mr. Speaker: Thank You.

Sub-Tehsil of Mohna

***1206. Sh. Raghubir Singh Tewatia:** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state whether Mohna in Prithla constituency has been given the status of Sub-tehsil; if so, the time by which it is likely to start functioning as such?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री): जी, हां।

उप–तहसील मोहना में सितम्बर 2012 से कार्य आरम्भ किए जाने की सम्भावना है।

श्री रघुबीर सिंह तेवतिया: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। जो 19 मार्च, 2011 को हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री की पृथला क्षेत्र के गांव जनौली में रैली हुई थी उसमें यह मुख्य मांग थी कि मोहना को उप–तहसील का दर्जा दिया जाये और पृथला को ब्लॉक का दर्जा दिया जाये। इसी बारे में 24 तारीख को मेरा प्र न लगा था। लेकिन विपक्ष के साथियों की वजह से उस समय मौका नही

मिल पाया। मै परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होने पृथला क्षेत्र को ब्लाक का दर्जा दिया है और जो भी हमारी मुख्य मांगे थी चाहे उसमें डाईट की बात थी, चाहे आ.रो.बी. की बात थी, चाहे स्टेडियमो की बात थी, चाहे एक गांव से दूसरे गांव को जोडने के जो 6 करम के 9 रास्ते थे उनकी बात थी, उन सबको मंजूरी दी हे। उनके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और अब केवल यह मांग और रखता हूं कि मेरे पृथला हल्के में सौ गांव पडते है और वहां कोई भी कन्या महाविद्यालय नही है। यह देहाती क्षेत्र है, न वहां कोई कस्बा है, न कोइ भाहर है, इसलिए मैंने इसी वहां रैली से भी मांग रखी थी।

Mr. Speaker: You may send it in writing to the concerned Minister.

श्री रघुवीर सिंह तेवतिया: अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मुख्यमंत्रीजी की रैली दोबारा फिर रखेंगे और उसमें हमारी पहली मांग यही होगी। मै माननीय मुख्यमंत्री जी से एक कन्या महाविद्यालय खोलने की उम्मीद करता हूं क्योंकि वहां इसकी बहुत जरुरत है। गांव की बहू–बेटिया पढने के लिए दूर जाती है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आप तो बुकिंग करवा रहे हैं।

To Allow Mining Operatins

***1209 Sh. Aftab Ahmed:** Will the Mines and Geology Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to allow mining operations in Aravali Ranges of Haryana, Particularly inMewat District togetherwith what steps taken by the Government to present the matter before the committee appointed by the Apex Court for lifting the ban on mining in the Aravali Ranges?

Minies & Geology Minister (Sardar Paramvir Singh): Sir, a statement is laid on the table of the House.

Statement

(i) The process of resuming mining operations in Aravalli Hills in the districts of Mohindergarh, Rewari and Dadri Sub-division of Bhiwani District has already been initiated for which Expressions of Interest have been invited for empanelment of Mining Agencies following a process of pre-qualification, based on a pre-determined criteria. It is proposed to invite competitive bids/auctions limited to the pre-qualified agencies in these areas, which is likely to be completed by October-November 2012. However, actual mining operations shall commence only after prior environmental clearances are obtained by the highest bidders from the competent authority.

(ii) As regards resumption of mining in the districts of Faridabad, Gurgaon and Mewat, the matter is still pending before Hon'ble Supreme Court and any steps for resumption of mining in these areas shall be taken only after the present legal challenges are settled.

(iii) The Central Empowered Committee (CEC) constituted by the Hon'ble Supreme Court has filed reports dated 13-01-2009 and July 2010 in the Hon'ble Supreme Court after detailed deliberations with the State Government. However final decision on these reports is still awaited.

श्री आफताब अहमदः स्पीकर सर, हमारे यहां जो अरावली पहाडी की श्रृंखलाएं है इनकी खदानों से हमारे लाखों आदमियों को काम मिलता था, लेकिन इन माईन्स में खुदाई का काम बंद हो गया है। यही श्रृंखलाएं आगे राजस्थान में जाती है जोकि एक ही पहाड का हिस्सा है अलग नही है। इसी पहाड में राजस्थान में तो माईनिंग का काम चल रहा है और हरियाणा के हिस्से में माईनिंग पर बैन लगा हुआ है। मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह माईनिंग कब बंद हुई थी और इनको खुलवाने के प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहें है या नही? मै सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्श 2009 और वर्श 2010 में सैन्ट्रल एम्पावरमैंट कमेटी ने जो रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की थी उसको परस्यु किया जाए क्योंकि यह लाखों आदमियों के रोजगार का सवाल है। अगर हम कोई मंदिर या मस्जिद बनाने के लिए अपने घर बनाने के लिए उस पहाड में थोडी बहुत खुदाई कर लेते है तो उस पर भी माईनिंग एक्ट लागू हो जाता है जिसमें बडे सख्त प्रावधान हैं। इसलिए मै आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि इस चीज को पूरी गम्भीरता से लेते हुए जल्दी से जल्दी इस मामले को सैटल करवाया जाये और जिससे जो भी प्रतिबंध लगे हुए है वे

जल्दी से हट जाएं और हमारे इलाके में माईनिंग का कार्य भुरु हो जाये जिससे लाखों आदमियों को रोजगार मिल सके। यह हमारा अपना पहाड है और हम इस सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं।

Mr. Speaker: This is a suggestion. so need not to reply.

Contribution for Metro Rail

***1159. Smt. Kavita Jain, M.L.A:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) The name of the cities of State for which the Government has contributed for Metro Rail together with the amount theref separately; and

(b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to extend the Metro Rail upto Sonepat?

Chief Minister (Sh. Bhupinder Singh Hooda):

(a) The following amount has been contributed by the Government for Metro Rail Projects in the cities given below:-

Gurgaon - Rs. 604.00 Crores

Faridabad - Rs. 437.07 Crores

Sir, with your permission, I would also inform the Hon'ble Member and the House that the State Government of

Haryana will be contributing a total of Rs. 1557.40 Crore only for the Faridabad Metro Railways.

(b) State Government has taken up the matter of Extension of Metro Rail from Narela to Rajiv Gandhi Education City in Sonepat with the Ministry of Urban Development, Government of India.

सर, इसके अलावा मै आपकी अनुमती से माननीय सदस्या को यह भी बताना चाहता हूं कि एक प्रोसीजन है उसके मुताबिक निर्णय लिया जाता है क्योंकि पैरीफरी में एन.सी.आर. के मैट्रो रेल का प्र न है। इन दोनो गुडगांव और फरीदाबाद मैट्रो रेल प्रोजैक्टस के अलावा जिसमें करीब 2200 करोड रुपए की कमीटमैंट केवल स्टेट गवर्नमैंट की है, स्टेट गवर्नमैंट ने एन.सी. आर. एरिया में दो मैट्रो रेल प्रोजैक्टस और सैंग ान किये हैं। एक तो मुण्डका से बहादुरगढ का प्रोजैक्ट है उसमें दिल्ली मैट्रो जो मुण्डका तक आती है उसको हम बहादुरगढ तक एक्सटैंड करेंगे और इसके रुट की लैंथ भी तकरीबन 11 किलोमीटर है और हरियाणा सैगमैंट में 4.8 किलोमीटर इसकी लैंथ होगी। टोटल प्रोजैक्ट 1991 करोड रुपये का होगा जिसमें हरियाणा सरकार का कंट्रीब्यू ान 787 करोड 96 लाख रुपये का होगा ओर यह प्रोजैक्ट भी मार्च, 2016 तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा एक और प्रोजैक्ट हमने मंजूर किया है जोकि वह सिकंदरपुर स्टे ान से एन.एच.8 गुडगांव तक मैट्रो रेल लिंक की एक्सटैं ान का है। यह गुडगांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गुडगांव तेज गति से

तरक्की कर रहा है। इसकी लैंथ 5.1 किलोमीटर है जबकि प्रोजैक्ट कॉस्ट 1088 करोड रुपये है और रैपिड मैट्रो रेल गुडगांव इसको इम्पलीमैंट कर रही है। हुडडा ने सैंट्रल वर्ज के ऊपर और डिपो बनाने के लिए उनको 99 ईयर्स के लिए राईट्स लीज पर दिये है और इसकी एवज में आर.एन.जी0एल0 ने 5 करोड रुपए अपरफरन्ट हुडडा को दिये है और 40 करोड रुपए प्रति वर्श 17वें साल से लेकर 35वें साल तक देंगे जिसकी कुल अगर हम कैलकुले ान करें तो 760 करोड रुपये हैं, मैट्रो भी बनेगी और यह रा ि ा भी वह सरकार को आयेगी और मार्च, 2013 यानि की अगले साल तक ही यह प्रोजैक्ट भी पूरा हो जायेगा।

श्रीमती कविता जैनः स्पीकर सर लास्ट टू ईयर गवर्नर स्पीच और बजट में भी सोनीपत में जहांगीरपुरी से कुंडली तक मैट्रो रेल लाने का प्रस्ताव था और उसके बाद एक जवाब में भी था कि राज्य सरकार ने नरेला से राजीव गांधी ऐजुके ान सिटी, राई तक मैट्रो रेल के विस्तार के लिए भाहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार से बात की है। स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि सोनीपत एन.सी.आर में लगता है और ने ानल हाइवे नम्बर 1 पर स्थित है और बहुत बडा ऐजूके ान हब बनने जा रहा है। सोनीपत में तीन बडी बडी इंडसिट्रयल टाउन ि ाप है कुंडली, राई और बढई है वहां दिल्ली से काफी सारे कारीगर डेली आते है और तकरीबन 50 हजार डेली पैसेंजर्स भी रोजाना सोनीपत से दिल्ली जाते है। बिल्डर्स ने भी

काफी सारी टाउनि ाप वहां बना दी है दिल्ली से वहां पर रहने आयेंगे ओर स्पीकर सर, जैसा कि आपको पता ही है कि गन्नौर में भी एक बहुत बडी मंडी बनने जा रही है। स्पीकर सर इन सभी फैक्ट्स को देखते हुए हरियाणा में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए सोनीपत में अपार संभावनाएं हैं। अतः मै जानना चाहूंगी कि क्या इन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए सोनीपत तक मैट्रो के विस्तार के लिए डी.आर.सी. और हरियाणा सरकार के बीच कोई कंट्रक्ट साइन किया जाएगा?

Shortage of Doctors

***1228. Sh. Ghanshyam Das Garg:** Will the Health Minister be pleased to state-

(a) the time by which the shortage of doctors in Chaudhary Bansi Lal General Hospital, Bhiwani is likely to be met out; and

(b) the time by which the CT Scan Machine is likely to be made available in General Hospital of Bhiwani?

स्वास्थय मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह): श्रीमान जी,

(क) चिकित्सको की भर्ती के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। हालांकि चोधरी बंसी लाल सामान्य हस्पताल, भिवानी के चिकित्सको की कमी को पूरा करने के लिए वर्तमान में कोई समय सीमा नही दी जा सकती।

(ख) वर्तमान में सामान्य हस्पताल, भिवानी में सी.टी. स्कैन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नही हैं।

श्री घन याम दास गर्ग: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि भिवानी में चौधरी बंसी लाल सामान्य हस्पताल में डाक्टरों के 42 स्वीकृत पद है उनमें से केवल 12 पोस्टो पर डाक्टर्स है बाकि 30 पद खाली पडे हुए है। तीन डाक्टर पिछले हफ्ते बाहर से डैपुटे ान पर आए हैं लेकिन 27 डाक्टरों की पोस्टें अभी खाली पडी हुई हैं। इसी तरह से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीयों के 25 से 30 पद भी खाली पडे हैं जिसके चलते सफाई व्यवस्था बहुत प्रभावित है। भौचालयों की सफाई तक नही हो पा रही। अस्पताल में कई अन्य चीजो की कमी है जैसे पंखे बहुत पुराने हो गए हैं, कोई चलते हैं कोई नही चलते। जो चलते है वे बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। बैड भीट्ज चेंज करने का कोई प्रावधान नही है। पीने के पानी की व्यवस्था नही है। जच्चा वार्ड में पानी भी उपलब्ध नही है। मैटरनिटी वार्ड की जो डाक्टर है वह भी समय समय पर रोहतक से आती है। परमानैंट डाक्टर वहां पर नही है। एक क्वै चन में मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सीटी स्कैन की म ीनें जो छोटे छाटे अस्पतालो में दी जा रही है क्या चौधरी बंसी लाल जी के नाम वाले अस्पताल में भी इस म ीन को देने को प्रावधान आप करने जा रहें है या नही?

राव नरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, जो माननीय साथी श्री घन याम दास जी ने चिक्त्सिा अधिकारियों की रिक्तियों के बारे में बताया है, इसके बारे में मैं इनको बताना चाहता हूं कि वर्तमान समय में भिवानी के अस्पताल में 24 चिकित्सक कार्यरत हैं। वरिश्ठ चिकित्सा अधिकारियों के पांच पद हैं ओर 42 पद मैडिक्ल ओफिसर्ज़ के स्वीकृत है। इन 47 पदो में से 32 चिकित्सको के पद भरे हुए हैं इनमें दस एस एम ओज/स्पे ालिस्ट के पद भाामिल है। इनमें ये 11 चिकित्सा अधिकारी भी भाामिल हैं जिनके खिलाफ अनुपस्थिती के कारण अनु ाासनिक कार्यवाही लम्बित है। इस प्रकार से 15 चिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त हैं। उसके बाद भी सरकार ने हाल ही में 3 चिकित्सा अधिकारियों को वहां पर डैपुटे ान पर लगाया है। भोश पद जो रह गयै है उनको जो 155 नये चिकित्सा अधिकारी लगा रहे हैं उन में से भरने का प्रयत्न किया जायेगा। दूसरा, इन्होने पीयन की पोस्ट्स को भरने के बारे में सवाल किया है, उसके बारे में मै सदन और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि स्वास्थय विभाग द्वारा आऊट पॉलिसी जो सरकार ने मन्जूर की है उसके तहत जो भर्ती की जा रही है उसमें जब भी पीयन ओर चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की जाएगी, उस समय उसमें, भिवानी के अस्पताल को भी भाामिल किया जायेगा। जो मैटरनिटी वार्ड और दूसरे वार्ड के बारे में सुझाव आए है नि चत रुप से उनको भी हम पूरे करेंगे। तीसरा, माननीय सदस्य ने सी.टी. स्कैन की म ाीन भिवानी के अस्पताल में देने की बात की है। उसके बारे में मै माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि

इस समय हरियाण में पंचकूला, सिरसा, करनाल और रेवाडी में चार सी.टी. स्कैन म ीनें उपलब्ध हैं। अब पी.पी.पी. मोड के ऊपर जो प्रणाली सरकार लागू करने जा रही है उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदे ा दिए है कि हम उसमें भिवानी के अस्पताल को भाामिल करें। इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रणाली के तहत भिवानी को भी उसमें भाामिल कर लिया जायेगा।

Four Laning of Roads

***1240. Sh. Naresh Selwal:** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that a demand was sent to the Government to construct the four lane roads (equipped with lights) from Hansawala to Madanpur and Surewala to Uklana but the construction work has not been started so far; if so, the time by which the construction work of four laning of the aforesaid roads is likely to be started; and

(b) whether it is a fact that the demand was sent to the Government to widen and reconstruct the road from the village Uklana to village Gajuwala; If so, the time by which the said road is likely to be widened and reconstructed?

Industries Minister (Shri Randeep singh Surjewala): Sir, road wise position is as under:-

Sr.	**Name of Roads Stretch**	**Length (in Km)**	**Reply**
(a)	Hanswala to Madanpur	2.50	No. Sir only demand for

			widening and strengthening was received and not for four laning. However at this juncture no time frame can be committed.
	Surjewala to Uklana	5.80	Yes. Sir The proposal is under consideration. However at this juncture no time frame can be committed.
(b)	Village Uklana to Gajuwala	7.40	Yes. Sir, the demad is being examined. However at this juncture no time frame can be committed.

श्री नरे ा सेलवालः स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से मंत्री जे से पूछना चाहता हूं कि मैने सुरेवाला से उकलाना रोड जो 5.80 किलोमीटर है, को बनाने की मांग माननीय मंत्री जी से की थी तो इन्होने मुझे फोन पर ही यह बताया कि आपकी डिमाण्ड को मन्जूर कर लिया है। उसके लिए मै चाहता हूं कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि वहां पर जो एक्सीडैंटस होते है वे न हो और पब्लिक को इन दुर्घटनाओ से बचाया जा सके। दूसरा, जो उकलाना से गाजुवाला गांव तक रोड बनाने के लिए मंत्री जी ने मन्जूरी दी है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद

करता हूं क्योंकि इस रोड पर मेरा अपना गावं भी पडता है। धन्यवाद सर।

श्री भारत भूशण बतराः अध्यक्ष महोदय, मेरा अपनी कांस्टीच्यूएंसी से और दूसरी कांस्टीच्यूएंसी से रिलेटिड यह सवाल है। काफी लम्बा समय हो गया कि रोहतक से गांव बहु–अकबरपूर का एन एच नं 10 जो 6 लेन का रोड एकसअैंड हो रहा है इसके बारे में मैने पिछली विधान सभा में भी एक पर्टीकुलर सवाल पूछा था लेकिन उसका कोई जवाब मंत्री जी की तरफ से नही आया था कि यह रोड कब तक पूरा हो जायेगा? दूसरा बहादुरगढ का बाई–पास और खराड से बहु–अकबरपुर का जो रोड का स्ट्रच है वह कब तक पूरा हो जायेगा ओर कब तक कमि ांड हो जायेगा कया मंत्री जी इस बारेमें कोई स्पेसिफिक डेट बताना चाहेंगे?

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, the road is a National Highway and the project is being executed by the National Highway Authority of India. The concessionaire has already gone over the appointed time given for construction. The National Highway Authority of India has processed to impose liquidated damages on to the concessionaire. Rest of the details are not handy. If my learned friend would ask a separate question. I can give him more specific.

श्री आनन्द सिंह दांगीः स्पीकर सर, मेरा गांव मदीना जो नै ानल हाईवे नं 10 पर पडता है, वहां पर भी फोर लेन रोड बनाने के लिए मैने पिछले सै ान में भी मंत्री जी से रिक्वैस्ट की

थी क्योंकि मदीना भी 25–30 हजार की आबादी वाला गांव है और रोड की दोनो तरफ गांव की आबादी है। इसलिए मै फिर से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बहु–अकबरपुर गांव के रोड को 6 लेन किया जा रहा है क्या उसी प्रकार मदीना गांव के पास भी फोर लेन रोड बनाने का प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन है या नही?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, दांगी साहब की यह बात सच है कि मदीना की आबादी कई कस्बो के बराबर है इसलिए वहां पर 4 लेनिंग की आव यकता है। इस समय यह इन्फर्मे ान मेरे पास इन हैंड नही है। अध्यक्ष महोदय, मै इस बारे में पता करके जरुर दांगी साहब को बता दूंगा।

Setting up of Power Sub-Stations at Palari and Nandnaur

***1231. Shri Jai Tirath Dahiya:** Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government t set up 33 K.V. Power Sub-Stations at village Palari and Nandnaur (Rai), Sonepat, if so, the time by which aforesaid sub-stations are likely to be set up?

Power Minister (Capt. Singh Yadav.):

No Sir,

श्री जयतीर्थ दहियाः अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले बिजली विभाग के अधिकारियों ने खुद मुझ से कहा था कि इन

गावों में 33 के वी सब स्टे ान लगाने की सरकार की प्रपोजल है इसलिए इन गावों की पंचायतो से रेजोल्यू ान भिजवाओं। मै दोनो गावों की पंचायतो से रैजोल्यु ान दिलवा दिए। उन रेजोल्यू ान के साथ जमीन की फर्द भी मैने भेजी हुई है। इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं। लेकिन आज मंत्री जी कह रहे है कि इन गावों मेें 33 के वी ए सब सटे ान लगाने के बारे में सरकार को कोई प्रपोजल नही है। अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से मंत्री जी के पास पूरी इंफर्मे ान नही आई है। इन गावों की जमीन की फर्द भी पहुंच गई है ओर सारे डाक्यूमैंट सरकार के पास पहुंच हुए है इसलिए मै चाहता हूं कि इस बारे में दोबारा पता करवाया जाए।

कैप्टल अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, इनकी यह बात बिल्कुल सच है। खेवडा में 132 के वीए सब स्टे ान ओर ताजपूर में 132 के वी ए सब स्टे ान एप्रूव हो गए है। हमने खेवडा से पलडी के लिए 33 के वी ए सब स्टे ान और ताजपूर से नांदनौर के लिए 132 के वी ए सब स्टे ान जोडना है। इनकी प्रपोजल अंडर कंसीड्रेसन है और उसके लिए हम जमीन देख रहे हैं। हमें जैसे ही जमीन मिल जाएगी उस पर कार्यवाही भुरु कर देंगे।

Mr. Speaker: Now, the question Hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखा गया तारांकित प्र न का लिखित उत्तर

Resentent Among Police Personnel's

***1155. Shri Anil Vij:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of fact that there is resentment among the Haryana Police Personnel's due to their less allowances and unfavourable working conditions; and

(b) if so, the steps being taken by the Government to increase the allowances and also to improve the working conditions f the police personnel's?

मुख्यमंत्री (श्री भुपेन्द्र सिंह हुडडा):

(क) राज्य के पुलिस कर्मचारियों मे किसी प्रकार का असन्तोश नही है। वास्तव में पुलिस कर्मचारी पडोसी राज्यो के पुलिस कर्मचारियों से अधिक भत्ते ले रहे है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा पुलिस कर्मचारियों के निम्नलिखित भत्ते दनामक 01–01–2009 से बढाए गए जो इस प्रकार है:–

(1) रा ानमनी 420/ रुपये से 840/ रुपये (हरियाणा स ास्त्र पुलिस व भारतीय रिजर्व वाहिनी के लिए) और 300/ से 600/ रुपये अन्य पुलिस यूनिटों के लिए।

(2) वाहन भत्ता 60–225/ रुपये से 120–450/ रुपये।

(3) रख–रखाव भत्ता 50–150/ रुपये से 100–300/रुपये।

(4) जोखिम भत्ता 50/ रुपये से 100/ रुपये (सिपाहियों के लिए)।

इसके अतिरिक्त पुलिस कर्मचारियों की कार्य स्थिती में सुधार लाने के लिए उन्हे निम्नलिखित अन्य सुविधाएं भी दी जाती है जो इस प्रकार है:–

(1) पुलिस कर्मचारियों को राजपत्रित छुटिटयों में कार्य करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाता है।

(2) राजपत्रित छुटिटयों में कार्य करने के एवज में दस दिनों का अतिरिक्त अवका ा भी दिया जाता है।

(3) पुलिस कर्मचारियों को हरियाणा रोडवेज की बसों में रियायती यात्रा की सुविधा दी जाती है।

(4) जिस पुलिस कर्मचारी की अपराधियों के साथ मुठभेड आदि के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके परिजनो को दस लाख रुपए व गंभीर अवस्था में घायल होने पर पांच लाख रुपये दिये जाते है।

श्री विनोद भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मै आपके समक्ष विधायको की समस्या के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हम जब सै ान अटैंड करने के लिए यहां आते है तो अंदर आने के लिए

हमें कुछ दिक्कत होती है। हमें अंदर आकर कहा जाता है कि आप यहां उतर जाइए। चाहे बारि ा हो या धूप हो हमें उतरने के लिए कहा जाता है और हमारी गाडियों को पार्किंग की इजाजत नही होती है। अध्यक्ष महोदय, मै कहना चाहता हूं कि आप हाउस के कस्टोडियन है इसलिए आप हमारी इस दिक्कत हो दूर करवाएं। जो एम एल एज साहेबान यहां आते हैं उनको पार्किंग की जगह मिलनी चाहिए। जब पार्किंग की बहुत सी जगह खाली भी होती है तब भी हमें कहा जाता है कि आप गाडी बाहर ले जाइए और यहां गाडी खडी नही कर सकते इसलिए आप हमारी इस समस्या का समाधान करवाएं।

Mr. Speaker: It is hereby ordered that the cars of the MLAs should be given priority in parking within the Assembly premises. All other vehicles shall stary out. MLAs vehicles have to be given priority. This is the order of the Speaker.

भगत फूल सिंह महिला वि वविद्यालय खानपुर कलां तथा डी. ए. वी. मॉडल स्कूल, सैक्टर 15–ए, चण्डीगढ के विधार्थियो तथा अध्यापको का अभिनन्दन

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मै आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि भगत फूल सिंह महिला वि वविद्यालय खानपुर कलां की 25 छात्राएं, छात्र और दो अध्यापक गण और इसी तरह ए. वी. मॉडल स्कूल, सैक्टर 15–ए, चण्डीगढ के 25 छात्र, छात्राएं और दो अध्यापक गण द र्ाक दीर्घा

मे सदन की कार्यवाही देखने के लिए मौजूद है। मै अपनी ओर से और सदन की ओर से उनके उज्जवल भविश्य की भुभ कामनाएं करता हूं।

इंडियन ने ानल लोकदल तथा ि ारोमणि अकाली दल के सदस्यो के निलम्बन को रद्द करने का मामला उठाना (पुनरारम्भण)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मै आपकी हिदायतो के अनुसार इनेलो के साथियों से बात करने गया था।

श्री अध्यक्षः आप कहां गए है, आप तो यहीं से आ गये हैं।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, गया तो मै हूं और आप अंदर बैठे कह रहे है कि मै कहां गया हूं। अध्यक्ष महोदय, आपकी हिदायतों के अनुसार मै इनेलो के साथियों से बात करने गया था। आपने जो कंडि ान्ज कही थी, वह मैने उनको बताई तो उन्होने कहा कि जो भाब्द हमने कहें है उसके लिए आपने सदन में निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया है। आप निंदा प्रस्ताव वापस ले लो तो हम अपने भाब्द वापस ले लेंगे। (विघ्न्) जब भाब्द ही वापस हो गए then that is the same. इसमें इतना रिजिड नही होना चाहिए।

श्री अध्यक्षः वह प्रस्ताव मेरा नही बल्कि हाउस का था। I cannot ask the House withdraw the Resolution that has been passed by the House.

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, आपने रैजोल्यू ान पास कर दिया तो झगडा किस बात का, फिर आप उनको क्यों नही बुला लेते?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उदार हृदयता दिखाते हुए विज साहब को एक बात कही कि श्री ओम प्रका ा चौटाला जी अपने व्यवहार और गलत भाब्दावली के प्रयोग के लिए यहां आकर चेयर और सदन से माफी मांग ले विपक्ष के साथियों को सदन में वापिस बुलाने के लिए हम तैयार है। कोई भी आदमी माफी मांगने से छोटा नही, बडा होता है और यही हमारे दे ा की, राश्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर आज तक की, रवायत भी है।

श्री अध्यक्षः विज साहब, क्या उन्होने आपसे यह कहा है कि वे अपने कंडक्ट के लिए माफी मांगने के लिए तैयार है? आप इस बारे में बताइए।

श्री अनिल विजः सर मै आपको बता रहा हूं, मुझे कहने तो दिजिए (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षःक्या वे अपनी बात के लिए माफी मांगने के तैयार है या नही?

श्री अनिल विजः सर आप टैक्नीकली देखे जो भाब्द उन्होने कहे थे वे भाब्द आपने कार्यवाही से एक्सपंज कर दिए। वे भाब्द अब रिकार्ड में नही है। you have expunged Sir.सर, आप

रिकार्ड निकालकर देख सकते हैं और सदन ने जो रैजोल्यू ान पास किया वह रिकार्ड पर है। आप रैजोल्यू ान को वापिस ले लें, वे अपने भाब्द वापिस ले लेंगे। सर, बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छी बात होगी कि उनको वापिस बुला लिया जाए।

श्री अध्यक्षःक्या वे सदन से माफी मांगने के तैयार है ?

श्री अनिल विजः सर, जब आपने उनके द्वारा कहे गए भाब्द कल ही एक्सपंज कर दिए तो आप टैक्नीकली देखें तो जो भाब्द एक्सपंज कर दिए गए उस पर रैजोल्यू ान पास नही हो सकता था। आपने एक तरफ तो वे भाब्द एक्सपंज कर दिये और दूसरी तरफ रैजोल्यू ान पास कर दिया।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, विज साहब को हर बात जलेबी की तरह घुमाने की आदत है। ये किसी भी बात को घुमाकर इस तरह से जलेबी बना देते है कि वह न इनके समझ में आती है और न किसी और के समझ आती है। अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने बडी उदार हृदयता दिखाते हुए एक बात कही कि चौटाला जी सदन में आयें और अपने व्यवहार के लिए सदन से माफी मांग लें।

श्री अध्यक्षः विज साहब यही कह रहे है कि वे लोग अपने कंडक्ट पर भार्मिंदा है और माफी मांगने के लिए तैयार है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः सर, पहले औम प्रका ा चौटाला जी सदन में आ जायें और वे अपने व्यवहार और

भाब्दावली के लिए सदन से माफी मांग ले। सदन के नेता ने कहा है कि वे यहां आकर पहले अपने व्यवहार और भाब्दावली के लिए खेद प्रकट करें उसके बाद पूरे विपक्ष को बुला लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक श्री अभय सिंह चौटाला जी का सवाल है इसमें मै केवल एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अनिल विजः सर, मै अभय चौटाला जी वाली बात भी करके आया हूं।

श्री अध्यक्षः क्या कहा उन्होने।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, कल आप सदन में उसकी विडियो दिखाना चाहते थे लेकिन वह सदन में देखी नही गई। सर, उन्होने यह कहा है कि चाहे हाउस में, चाहे आपके चैम्बर मे ंचार सदस्यों को वह विडियों दिखा दें। यदि उसमें उन्होने कुछ गलत कहा होगा तो वे सार्वजनिक माफी मांगने के लिए तैयार हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, कल भी वे लोग सदन से भाग गये क्योकि वे चाहते थे कि वह विडियो सदन को न दिखाई जाये। हमारे एक सम्मानित साथी श्री जयवीर वाल्मिकी जी ने अभय सिंह चौटाला जी के बारे में कहा और खुद विज साहब इसके च मदीद गवाह हैं। इन्होने भी देखा कि किस प्रकार का चौटाला जी का व्यवहार और आचरण था। वे खुद यहां पर आये और किताबें तथा कागज उठाकर मारने का प्रयास किया।

उन्होने सदन में गालियां दी और जाति सूचक भाब्दों का भी इस्तेमाल किया तथा कल उन्होने कहा कि मै तो सीट पर ही बैठा था वैल में आया ही नही। ये सब बातें रिकार्ड के अन्दर दर्ज हैं। इसका आडियो और विडियों कल का भी देखने के लिए तैयार नही थे क्योंकि उन्हे डर लगता था और वे सदन से चेहरा छुपाकर भाग गये। विज साहब की एंग्जायटी तो मै समझता हूं। इनको चिंता है कि जल्दी बी. जे. पी., आई. एन. एल. डी. के साथ जायें। इनकी चिंता तो वाजिब है। वह तो इनकी चिंता है, यहां सदन की कार्यवाही तो सदन के रुल्ज के मुताबिक चलेगी। गुर्जर साहब का कोई और ओपीनीयन है और विज साहब का बिल्कुल कोई ओर ओपीनीयन हे। ये तो अजय सिंह चौटाला जी का च मा लगाकर देखते है। इन दोनो के ही अलग अलग विचार है।

श्री अध्यक्षः विज साहब आपने वह च मा वापिस कर दिया या नही? (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, इनको ऐसे रिमार्क्स करने का कोई अधिकार नही है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री कृश्णपाल गुर्जरः अध्यक्ष महोदय, ...(विघ्न्)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, अभी इनमें यही तय नही हुआ है कि सदन के अंदर कौन किसका लीडर है? अध्यक्ष महोदय, आप ही देखिये दोनो एक साथ खडे हो जाते है। (विघ्न्) गुर्जर साहब, इतने सीनियर लीडर है और बी जे पी के

प्रदे ा अध्यक्ष है ये उन्ही की बात नही मानते हैं। ये उनके डिसीप्ली में नही है। इन पर 'नाच न जाने आंगन टेढा' वाली कहावत लागू होती है क्योंकि ये घुमाकर बात कर रहे हैं। Sir, first Sh. Abhay Singh has to come in the well of the House and to be reprimanded as directed by you.

Shri Anil Vij: Speaker Sir, be liberal. The ball is in your court.

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल): स्पीकर सर, अनिल विज अपने व्यवहार से सभी को यह दिखाना चाहते है कि मै पंचायती था लेकिन मेरी कोई बात नही मानी गई। यह आपकी बात नही मानता इसलिए इसकी भी कोई बात नही मानेगा।

मुख्य मंत्री (श्री भुपेन्द्र सिंह हुडडा): अध्यक्ष महोदय, हमारे काबिल दोस्त विज साहब यह बात कह रहे है कि इन्होने हाउस के बाहर पत्रकारो को भी यह कहा है कि अगर इंडियन ने ानल लोकदल के सदस्यो का हाउस में बुलाया जाता है तो उनके व्यवहार के बारे में वह आगे की कोई जिम्मेवारी नही लेंगे। मै इनको यह कहना चाहता हूं कि अगर ये इनेलो के सदस्यो को हाउस में वापिस बुलाने की वकालत कर रहे है तो इनको हाउस में उनके आगे के व्यवहार की भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। आप विज साहब से पूछिए कि उन्होने बाहर पत्रकारो को क्या कहा है?

श्री अनिल विज: सर, मै आगे की जिम्मेवारी लेने के लिए भी तैयार हूं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर सर, विज साहब को आई एन एल डी का च मा लगाने की बहुत जल्दी है। ये इनेलो की आगे की भी सारी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। श्री कृश्ण पाल गुर्जर साहब तो इनकी बात नही मान रहे हैं (ाोर एवं व्यवधान) गुर्जर साहब तो हजकां के ट्रक्टर के उपर बैठे है और विज साहब च मा लगाए बैठे है। (ाोर एवं व्यवधान) सर बी जे पी के सदस्यों की दिक्कत ही यही है कि इनका अध्यक्ष तो ट्रेक्टर पर बैठा है ओर सदन में बी.जे.पी. के नेता अजय सिंह चौटाला का च मा लगाये बैठे है। मेरी तो ये समझ में नही आता कि ये कैसे निर्णय करेंगे? ये अपनी पार्टी अध्यक्ष की बात भी नही मानते। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः विज साहब, ये च मे वाली बात क्या है।

श्री अनिल विजः सर, मेरे पास अपना च मा है। सर सभी ने अपना अपना च मा लगाया हुआ है।

श्री कृश्ण पाल गुर्जरः स्पीकर सर, मै तो यह कहना चाहता हूं कि बी.जे.पी. के पास अपना च मा है। सर, हमारे काबिल मंत्री श्री सुरजेवाला जी ने बोलते हुए अभी एक बात कही कि अनिल विज जी को इनेलो के साथ जाने की बहुत जल्दी है। मै उनको साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी के साथ जाने की कोई जल्दी नही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिसके साथ जाना था वह पहले ही चली गई।

इसलिए यहां पर इस तरह की भ्रम की स्थिती पैदा करने वाली बातें करना ठीक नही है जो कि ट्रेजरी बंचिज की तरफ से बहुत ज्यादा की जाती हैं। मै यह भी कहना चाहता हूं कि हम अपनी बात पर अडिग है। जिनके साथ हमारा समझौता होना था वह हो गया है। इसलिए आप भी अपनी चिंता दूर कर दें।

श्री सतपालः स्पीकर सर, जब हम हरियाणा विकास पार्टी में थे ओर हरियाणा विकास पार्टी की सरकार हरियाणा में सत्तारुढ थी तो उस समय हरियाणा विकास पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी सदस्यो को मंत्री बनाया हुआ था लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने हमारी सरकार भी गिरा दी थी। मै यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोगों पर कौन वि वास करेगा? इन पर कोई वि वास नही कर सकता।

Shri Anil Vij: Speaker sir, now this matter should be closed और इंडियन ने ानल लोक दल का साथियों को सदन में वापस बुलायें।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री अनिल विज जी ने, जो कि माननीय सदस्य है और चौथी बार इस सदन में चुनकर आये हैं, आज डेमोक्रेसी की हैल्थ पर चिंता जाहिर की है और यह भी कहा है कि वे लोकतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं का निर्वहन करना चाहते है और यह भी यहां पर सुझाया गया है कि यह लोकतंत्र के हित में है कि जिन माननीय सदस्यो को कल माननीय अध्यक्ष ने

सदन से उनके व्यवहार के लिए जाने को कहा उन्हे वापस बुलाया जायें क्योकि वे अपने भाब्दों को वापस लेने के लिए तैयार है और अपने द्वारा कहे भाब्दों और किए गए व्यवहार के लिए भार्मिंदा हैं। विज साहब मै सिर्फ आपकी बात नही कर रहा हूं। मै सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि अगर सदन में चेयर के खिलाफ कोई माननीय सदस्य बोलता है तो वह सिर्फ चेयर का अपमान नही है बल्कि वह समस्त हाउस का अपमान है, और जो माननीय सदस्य लोकतंत्र की गरिमाओ की बात करते है और लोकतंत्र की हैल्थ के प्रति चिंता व्यक्त करते है वे कल कहां थे? कल आपको बोलना चाहिए था कि सदन के प्रति ऐसे भाब्दो का इस्तेमाल लोकतंत्र की गरिमा, सदन की गरिमा को नही बढाता है। जब तक मै इस सदन का अध्यक्ष हूं मुझे इस बात की कोई चिंता नही है कि क्या भाब्द बोले जा रहे हैं। यह केवल मात्र उन व्यक्तियों की मानसिकत, उनकी फ्रस्ट्रे ान, उनकी जो अपब्रिंगिंग और एजूके ान है, उसको परिलक्ष्ति करता है। उनकी बैकग्राउंड को परिलक्ष्ति करता है, डैमोक्रसी में उनकी कितना वि वास है, इस बात को दिखाता है, उनका चेयर के प्रति, गरिमाओ के प्रति और स्वस्थ लोकतांत्रित परम्पराओ के प्रति कितना वि वास है, यह द र्ाता है। आज मै यहां पर बैठा हूं, कल यहां पर कोई और बैठेगा, उधर कोई और बैठेगा और इधर कोई और बैठेगा। इस बात को मानकर चलना कि यह सदन समस्त हरियाणा के लोगों की इच्छाओं का प्रतीक है और यहां पर इस प्रकार का व्यवहार ठीक नही है। मुझे कहा गया कि आप हाउस के कस्टोडियन हैं, मेरा फर्ज है इस हाउस को

चलाना। जब मेरा फर्ज है इस हाउस को चलाना है तो यह देखना भी मेरा फर्ज है कि किसी सदस्य के प्रति जातिसूचक भाब्द न कहे जायें, किसी सदस्य के प्रति आक्रामक रुख न अपनाया जाये। यह देखना भी मेरा काम है कि सदन की इन बैंचिज पर खडे हो कर लोग नाचने न लग जाएं। यह देखना भी मेरा काम है कि सदन की वैल में आकर इस सदन को चलने मे बाधा डालने वाले लोगों के प्रति मुझे क्या रुख अपनाना चाहिए। इसलिए जिन लोगों को अपने किए पर, अपने कहे पर जरा भी भार्म है तो वह वहीं पर बैठ कर मान लें, मै तो इसी को मान लूंगा। यह सदन भी मान लेगा। इस सदन में एक प्रस्ताव पास किया है, जिनके बिहेवियर के प्रति कडा रुख अपनाया है। इसलिए इस बात पर और चर्चा की आव यकता नही है। माननीय सदस्यगण सदन का और इस चेयर का जो आदे ा है उसकी अनुपालना जो सदस्य करेगा वही इस सदन में बैठने का असली हकदार रहेगा अदरवाईज इन परम्पराओं की दुहाई देने की यहां पर आव यकता नही है।

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव की सूचना

Mr. Speaker: Hon'ble Members I have received a calling attention motion no. 2 by Shri Bharat Bhushan Batra, MLA regarding fatal accidents in the State of Haryana and steps taken by the Government to prevent the use of commercial vehicle for carrying passengers. I have admitted it. (Interruption).

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैने एक कॉलिंग अटैन्शन मोशन Regarding resentment against the acquisition of land in District Rewari दिया था। इसके अलावा मेरा एक और Adjournment Motion with regard to former Haryana Minister Shri Gopal Kanda, accused of abetting the suicide of former Air Hostess, Geetika Sharma, दिया था इनका क्या फेट है?

श्री अध्यक्ष: मैने इनको डिसअलाऊ कर दिया है। आप अपनी सीट पर बैठिए (ाोर एवं व्यवधान)

Shri Anil Vij: Speaker Sir,*******

Mr. Speaker: Nothing to be recorded.

Shri Anil Vij: Speaker Sir,*******

Mr. Speaker: Please resume your seat, sit down. this is also good conduct. You can't do it. (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, ********

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded.

श्री विज साहब अभी आप लोकतंत्र की गरिमा और हैल्दी डैमोक्रेसी की बात कर रहे थे and now you are violating. Is it your conduct? क्या आपका यह कंडक्ट है, Is this your conduct? I have disallowed them and this is within my power.

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, हमें पूछने का अधिकार तो है?

श्री अध्यक्षः विज साहब, अब आप बैठें।

वाक आउट

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, अगर आपने हमारे किसी भी कालिंग अटैं ान मो ान या एडजर्नमैंट मो ान को एक्सैप्ट ही नही करना है तो फिर हमारा यहां पर बैठने का क्या फायदा है? अध्यक्ष महोदय, आपने हमारे जो कालिंग अटैं ान मो ान और एडजर्नमैंट मो ान को डिसअलाउ किए है उसके विरोध में हमस दन से वाक आउट करते है।

(इस समय सदन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य श्री अनिल विज के कालिंग अटैं ान मो ान/एडजर्नमैंट मो ान को डिस अलाउ किए जाने के विरोध में सदन से वाक आउट कर गए)

मुख्य मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुडडाः अध्यक्ष महोदय, जब विज साहब बोल रहे थे तो मै समझ रहा था कि यह कई बार विधाय रहे है और प्रजातंत्र के हक में और सदन की गरिमा को देखते हुए यह अपने सुझाव दे रहे हैं लेकिन अब मुझ को महसूस हो रहा है कि जैसे यह खुद है वैसो की यह सिफारि ा कर रहे थे। अब जैसा इनका खुद बिहेवियर है वैसे ही बिहेवियर वालो की यह सिफारि ा कर रहे थे। मुझसे गलती हो गई जो मैने विज साहब पर वि वास किया। धन्यवाद। (ाोर एवं व्यवधान)

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव

घातक दुर्घटनाओ/यात्रियों को ढोने के लिए वाणिज्यिक वाहनो के उपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमो संबंधी

श्री अध्यक्षः अब श्री बी. बी. बतरा जी अपना कालिंग अटैन ान मो ान पढें।

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, I want to draw the attention of this August House towards a matter of an urgenet public importance that there is a big spurt in the motor vehicular accidents within State of Haryana in last two years. Specify that how many casualties have covered in these total accidents/fatal accidents? what steps are being taken by the Government to stop these accidents and what kind of compensation is paid to the families of victims by the State Government? Carrying of the passangers in the commercial vehicle is illegal and is a routine in Haryana. Why the Government is not making strict and stringent laws to prevent the carrying of the passangers? Why these drivers and owners of the vehicles involved in such like offences are not being booked under Section 304-B IPC; culpable homicide not amounting to murder? Is the Government is intending to bring any amendments in the Criminal Procedure Code for seizer of the vehicles involved in such like accidents? This issue is of very big importance. These unscrupulous drivers and owners are playing with the lives of innovent people.

Therefore, I request the Government to make a statement on the floor of this House regarding what steps are being taken by the Government to prevent for use of

commercial vehicle for such like purpose i.e. carrying passengers?

वक्तव्य

उद्योगमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी

Mr. Speaker: Now the Parliamentary Affair Minister will make a Statement.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Speaker Sir, these two calling attention notices relate to wide ranging issues pertaining to road safety, accidents, steps taken by the Government to make the roads safer, compensation to the victims of road accidents etc. The replies of Calling Attention Notices No.2 and 5 have been clubbed together as road safety and better regulation of traffic is the common thread or common denominator to these notices.

Reply to Calling Attention Notice No.2

1. In reply to the calling attention notice no. 2, it is submitted that thought road accidents remain an area of concern for the State Government contrary to the popular perception the number of causalities/injuries as well as road accidents in the State of Haryana have shown a declining trend. The statistical table below showing figures for the last 5 years upto 31.07.2012 alongwith the number of persons killed/injured in the State will reveal that there has been no spurt in road accident/death on account of accidents in the State in the recent past:

Sr. No.	Year	No. of Accidents	Number of Persons killed	Number of persons injured
1	2008	11596	4494	10571
2	2009	11915	4603	10481
3	2010	11195	4895	9946
4	2011	11128	4561	9528
5	2012	5674	2592	5284

During the year upto 31.07.2012, a total of 5674 accidents have occurred in the State as compared to 6024 number of accidents occurred the same period of the previous year. 73 less number of persons got killed and 418 less number of persons got injured this year upto 31.07.2012 as compared to the same period of the previous year. The above mentioned data clearly depicts that there is no spurt in the motor vehicular accidents in the State of Haryana in the last two years. Infact, the number of accidents is continuously decreasing for the last three years.

2. Compensation amounting to Rs. One Lac is being provided to the family of victims of the Road accident by the State Government under The Rajiv Gandhi Bima Yojna. Besides Motor Accidents claims Tribunals have been set up in the entire State where compensation to the victims of accidents is awarded as per law. A part of the compensation is paid by the accused to the victims of his dependents and part by the vehicle owner/insurance companies as per the schedule II appended to the Motor Vehicles Act 1988. Haryana

Government has given amount of Rs. 12,91,20,000/- as compensation is 2012 number of cases (including Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojna). The data relating to compensation paid by Motor Accident Claim Tribunals and Insurance Companies is not available with the State Government. However the data from the insurance companies has been already called from the insurance companies new india insurance co. ltd., national insurance companies ltd. and oriental insurance.

3(a). The Government is taking following steps to reduce the road accidents so that the persons travelling on the roads could feel more safe. The following steps have been taken in this regard:

(i) 22 Traffic Police Stations and 5 Traffic Police posts have been established in the State, Force and vehicles have been provided to enforce traffic rules and create road safety awareness.

(ii) 32 High Speed Interceptors have been provided to control the menace of overspeeding vehicles running beyond the prescribed speed limit. During the period from 01.01.2012 to 31.07.2012, 66487 violators have been intercepted and challaned for this offence so far.

(iii) Total 43 Ambulanes have been provided for timely medical assistance to the road accident victims.

(iv) Sobriety Checkpoints have been established and sufficient Alco-Censors have been provided to check drunken driving in all districts of the State. During the period from 01.01.2012 to 31.07.2012, 17876 drunken drivers have been detected & challaned.

(v) The menace of over loading of goods and other important offences are being looked after by the TOs and presently by Secretary, RTS under the overall control of Transport Department. Police help is provided to them as and when demanded.

(vi) Road safety awareness campaigns, seminars, painting competitions etc. have been launched throughout the State.

(vii) By associating prominent members of Society, namely,ex-servicemen, senior citizens, non-governmental organizations, resident welfare associations, retirees, shopkeepers, transporters, vehicle associations etc. an organization named as road safety organization RSOs was created on 27.10.2009. This organization is working efficiently in each district and supporting the police in its road safety awareness campaigns.

(viii) A state traffic control room has been established with the head quarters at Karnal with facilities of accident helpline toll free number 1073 which is functioning round the clock and serves as an important link with the public.

(ix) in addition to the above, over speeding, vehicles, drunken drivers and drivers who are not wearing helmets, not using seat belts, using mobile phones while driving, over loaded vehicles with passengers etc. which are being challaned regularly. In the year 2012 from 01.01.2012 to 31.07.2012,964750 vehicles have been challaned in order to strictly enforce the traffic rules.

(x) Total 16018 Maxi cabs have been challenged w.e.f 01.01.2012 to 31.07.2012.

3(b) (i) The State Government has done an in-depth analysis of probable causes behind road accidents with the help of PWD, (B&R), Forests, Telecom etc. Departments and identified 1170 accident prone points on the roads in the State. 1001 such points have been identified for PWD B&R out of which 666 (66.35%) points have already been rectified. 74 points have been identified for Forests Department, out of which 65 (873.84%) points have already been rectified. 27 points have been identified for Transport Department, out of which 17 (70.37%) points have already been rectified. 64 points have been identified for Electricity Department, out of which 49 (76.56%) points have already been rectified. 4 point have been identified for Telecom Department, out of which 4 (100%) points have been rectified. In addition,1051 points have been identified for necessity of speed breakers, in which 8410 (77.07%) speed breakers have already been constructed on various categories of roads of the State.

3(b)(ii) Two institutes of Driving Training & Research have been established by the State Government at Bahadurgarh and Rohtak in order to provide effective driving training. The third such institute at Kaithal is near completion and is near completion and is expected to start functioning soon. In addition to these, another such Institute is being set up in Bhiwani for which financial assistance will be provided by the Central Government. These driving training schools are/would be fully equipped including simulators, and provide

training to the citizens which would go a long way in increasing the safety of road users.

4. Depending on the death or injury of the victims, the drivers of the vehicles causing accidents are booked under sections 304A/338/337/336/279 of Indian Penal Code. Section 304B IPC is meant for incidents of dowry death and section 304 IPC is meant for incidents of culpable homicide not amounting to murder. It may not be legally tenable to apply these sections in cases of accidents. Therefore, no such proposal to amend Cr.P.C. is under consideration of the State Government.

5. as far as seizure and compounding of vehicles is concerned, adequate powers under section 102 of Cr. P.C of 1973, read with section 207 of Motor Vehicles Act, 1988 and Section 25 of the Indian Police Act, have been vested with the police and Transport authorities to search, seize and impound the vehicles plying in contravention of the statutory provision of Motor Vehicles Act, 1988. Nothing further in this direction requires to be done by a way of an amendment in prevalent law.

6. With regard to carrying passengers by goods vehicles, it is submitted that carrying of passenger vehicles (meant for carrying goods) is an offence under section 192A of the motor vehicles act, 1988. The State Government in Transport Department launches a vigorous drive to check this malpractice with the help of police authorities. The menace of carrying passengers in commercial and goods vehicles and other important offences under the Motor Vehicles Act 1988 is being looked after by the DTOs and Secretary, RTA under the

overall control of Transport Department. Police help is provided to them as and when demanded. Having regard to the congestion of traffic on the road 24x7 flow of traffic, the vast network of National/State Highways and link roads, to eliminate such misuse of commercial vehicles will require cooperation from the public/NGOs and other stakeholders. The State Government is doing its utmost to curb unauthorized use of commercial vehicles (meant for carrying goods) for carrying passengers. The offenders are punishable (for the first offence with a fine which may extend to five thousand rupees but shall not be less than two thousand rupees and for any subsequent offence with imprisonment which may extend to ten thousand rupees but shall not be less than five thousand rupees or both. The enforcement agencies keep checking the vehicles and offenders are challaned from time to time.

Reply to Calling Attention Notice No.5

7. In reply to Calling Attention Notice No.5, it is submitted that para I foregoing may be read as reply to part No.5

8. With regard to the Obstructive Sleep Apnea syndrome in the drivers, it is submitted that unduly long hours of duty, lack of rest and fatigue may cause OSA in the drivers on the road. There are no data or studies by OSA or whether Government as to what percentage of accidents are caused by OSA or whether OSA is the main cause of accidents. With regard to welfare and condition vehicles to provide continuous positive airway pressure devices to drivers. it is stated that the Parliament has already enacted. The Motor

Transport Workers Act, 1961 which provides for matters like medical facilities, welfare facilities, hours of work spread-over, rest periods, overtime for the drivers etc. These provisions are being enforced by the authorities of the Transport Department.

9. Regarding weak eyesight of drivers, it is submitted that camps to check the eyesight of truck and maxi-cab drivers are regularly being organized at different locations with the help of medical professionals to check and rectify their visual differencies. Spectacles are provided to them, in case of necessity.

10. Over-speeding is one of main causes behind the accidents. To control the speed of over-speeding vehicles interceptors vehicles and Radar Guns have been deployed on main highways. The erring vehicle drivers are being challaned. In the year 2011, a total of 1,06,010 challans and up to 30th June, 2012, a total of 59,779 number of vehicles have been challaned for over-speeding. In addition for non observance of other traffic rules/laws the following numbers of vehicles have been challaned under various categories:-

Offences	**2011**	**2012 upto June**
Drunken Driving	15,736	14,674
Driving without Helmet	2,47,649	1,76,677
Driving without Seal Belt	1,03,848	95,069
Using mobile Phone while	9,718	8,238

driving		

11. The steps taken by the Government to reduce accidents have been given in forgoing para-3. More so, para 3(b)(i) and 3(b)(ii) delineate steps taken by the Government to make safer and set up training centres for better traffic awareness among drivers. The Transport Department has made installation of speed governor compulsory in all transport vehicles vide Notification dated 22.11.2010 and 23.08.2012. Transport Department takes action under Motor Vehicle Act, 1988 against the operators plying their vehicles with loads over and above the sanctioned limits. Rule 67A of Motor Vehicle Rule prescribes the age for operation of various types of transport vehicles, which is being strictly enforced.

12. The Transport Department has made installation of speed governors compulsory in all transport vehicles *vide* Notification dated 22.11.2010 and 23.06.2012. Transport Department takes action under The Motor Vehicle Act 1988 against the operators plying their vehicles with loads over and above the sanctioned limits. Rule 67A of Haryana Motor Vehicle Rule prescribes the age for operation of various types of transport vehicles, which is being strictly enforced.

13. It is once again emphasized that the subject of road safety has to be addressed on a continuous basis because numerous new challenges are thrown up from time to time. Drivers need to have a responsible attitude since the attitude and behaviour of drivers play a major role in road safety. Safe driving habits need to be adopted and practiced continuously. Various stakeholders such as the Government, local bodies, NGOs and Civil Society etc. need to work with a wholistic

approach to address the issue of road safety. With the efforts being made by the government, it is hoped that roads in Haryana would be safer in the times to come.

श्री भारत भूशण बतराः अध्यक्ष महोदय, जितना ये गंभीर विशय है ऐसा लगता है कि उसको उतनी गंभीरता से मंत्री जी ने नही लिया है। काल अटैं ान मो ान की रिप्लाई में अगर एक सैक ान को 304 की बजाय 304 बी लिखा गया तो उसकी टोटल इवैसिव रिप्लाई हो गई है। आप देखेंगे कि ऐक्सीडैंट के केसिज में कॉमि र्यिल व्हीकल्ज मे जो पैसिंजर जाते हैं और दुर्धटनाग्रस्त हो जाते है, डैथ हो जाती है, उनकी क्या ऐगोनी होती है। ऐक्सीडैंट के बाद एक लाख रुपया सरकार से मिल गया और एक लाख रुपया राजीव गांधी इं योरेन् ा पॉलिसी के अंदर मिल गया उसके बाद उनको कहीं से भी किसी भी फोरम से रुपया नही मिल सकता है। इं योरें ा कंपनीज़ उसी टाइम उससे बाहर निकल जाती है। बस के अंदर पैसिंजर के बैठने की व्यवस्था मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक होती है। उसी के मुताबिक उनकी सेफ्टी होती है, सिटिंग सिस्टम होता है। अब जब एक ट्रक के अन्दर बीच में फट्टे लगाकर उसमें लोग जायेंगे तो क्या होगा? यह ठीक है कि ग्रामीण आंचल की बात को तो मै समझता हूं लेकिन उस बात को चैक न करना अल्टीमेटली उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड करना एक बहुत ही बडी बात है। ऐसे ऐक्सीडैंट्स में आदमियों की डैथ हो जाती है। उनके परिवार के अन्य सदस्यों की वेदना को समझना बडा ही मु कल है। कंपन ोसन न मिलने

की वजह से परिवार के सदस्यो के पास गुजारा करने के साधन भी नही बचते हैं। यह एक बहुत बडी बात है। कल प्रोफेसर संपत सिंह जी ने ठीक कहा था कि ग्रामीण आंचल के जो लोग है उनमें से कोई रिलीजियस ट्रीप पर जा रहा है या भाादी में जाने के लिए टैम्पो किराए पर बुक करते है। उनके लिए अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद मैने कहा कि जो लो इकट्ठे ऐक्सीडैंट में मारे जाते है और ऐसे केसिज में ड्राइवर के खिलाफ क्या होता है सिर्फ सैक ान 304 ए के अंदर एक मुकदमा दर्ज होता है जिसमें मैक्सिमम पनि ामैंअ 2साल की है। ऐसे कई गलेरिंग इंस्टांस हाई कोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के सामने आए है। एक आदमी भाराब पी कर तेजी से गाडी चलाता है ओर 8–8 मजदूरो को रोंद कर चला जाता है। अभी अभी संजीव नंदा का केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। मुंबई में भी ऐसा हुआ है उसमें पुलिस ने धारा 304 Culpable homicide not amounting to murder लगाई। जब इनको पता है कि जिस वातावरण के अन्दर आप एक ट्रक में 60–60 आदमियों को भेड बकरियों की तरह भरकर ले जा रहे है उनका जब ऐक्सीडैंट हो जाता है उनके खिलाफ धारा 304 Culpable homicide not amounting to murder लगनी चाहिए क्योंकि यह एक बहुत बडी नैग्लीजैंसी है कि कोई भाराब पी कर गाडी चला रहा है और व्यवस्था वहीं की वहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन बातो को चैक करने के लिए सरकार को सटैप्स लेने चाहिए। सैकीण्डली बात व्हीकल की सीजर और इम्पाउंडिंग की आई। मंत्री जी बहुत ही अच्छे उच्चकोटी को

क्रिमिनल लॉयर रहे है। वे जानते है कि गाडी को इंपाउंड और सीज करने के डिफरैंट प्रोविजन्स है। मै मंत्री जी से यह पूछना चाहात हूं कि इनको रोकने के लिए सरकार क्या स्टैप्स उठा रही है? जो लोग गाडीयां चला रहे है और जिरकी वजह से एक्सीडैंटस होते है। क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान ही है कि जितने भी ड्राईवर्ज गाडिया चलाते है उनके लाईसैंस की एक रेन्डम चैकिंग होनी चाहिए। हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत बढिया है और हमारे रोडज जो 100–100 फूट के है वे बहुत बढिया हैं। पिछले चार साल में आप देखेंगे कि on an average 4500 लोगों को ऐक्सीडैंट हुए है जिनमें बहुत सारे लोगो की मृत्यु भी हुई है। आदमी की गलती से या म ाीन की गलती से ऐक्सीडैंट हो जाए तो यह तो मै मान सकता हूं क्योंकि यह तो रुटीन का फिनोमिना होता है और कॉमर्ि यल व्हीकल्ज में लोग सवारियां भर कर ले जाते है। इनके लिए सरकार को स्ट्रिक्ट मैजर्स लागू करने चाहिए। इसके लिए हमें कोई न कोई कानून बनाना चाहिए। मै मानता हूं कि गावों में लोग जब खेत में ट्रैक्टर ट्राली ले कर जाते है या ट्रैक्टर ट्राली मे फार्म पर लेबर लेकर जाते है वह इसमें एक्जैम्पटिड है क्योंकि वह किसी के आगे आडे नही आता। अगर इनको आप चैक करेंगे तो उन लोगो को और सुविधा मिल जायेगी और उन लोगो की कम से कम जान तो बच जाएगी।

Mr. Speaker: Hon'ble Member, no doubt you are raising a very important point. But at the same time you should be asking a supplementary question.

श्री भारत भूशण बतराः अध्यक्ष महोदय, इन ऐक्सीडेंटस को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है?

Mr. Speaker: Your question is, are you going to make a law more stringent?

श्री भारत भूशण बतराः स्पीकर सर, कामर्ियल व्हीकल्ज पर पैसेन्जर्ज ट्रवल न करे। इसके बारे में what effective steps the Government has taken and what is stated in this particular? इनको एक लाख का कम्पन्सेशन दे दिया जाता है इसकी कोइ बात नही है। इसके साथ एक और बात है कि ऐसे केसिज में इन्योरेन्स कम्पनी तो बाहर हो जाती है लेकिन जो आदमी मर जाता है उस गरीब आदमी के परिवार का क्या होता है इस बारे में मंत्री जी एक्सप्लेन करें।

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, My learned friend has raised three suplementaries.

Mr. Speaker: Hon'ble Minister, there is no dispute with regard to the seriousness of the calling attention motion. Many people are dying on the roads suffering injuries etc. So, we must make the laws stringent and further steps needto be taken in this regard.

Shri Randeep Singh Surjewala: Hon'ble Speaker Sir, thee are no two opinions on this. The roads are in India at large are bigger killer than Acquired Immno Deficienty Syndrome (AIDS) that is a fact has been repeat3edly emphasized so nobody even for a moment is undermining it. I want to assure my learned friend the seriousness of the

question he raised and the issue that he has raised. Thery are very well-taken. There are three thingsthat he has suggested. He is saying his Supplementary No.3 was that where a vehicle is not insured or where the insurance had expired, the insurance company goes out. They go scot-free.

श्री भारत भूशण बतराः स्पीकर सर, इन केसिज में इन्‍ योरेंस कंपनी तो निकल ही जाती है when a vehicle is plying against the Motor Vehicle Act itself जिसमें गाडी की इन्‍ योरेन्स पॉलिसी ही परमिट नही करती क्योंकि जब आप कॉमर्शियल व्हीकल्ज पर सवारियां बैठयेंगे और एक्सीडैंट हो जाता है तो उस सूरत में इन्‍ योरेन्स कंपनी की कोई लॉयबिलिटी नही बनती। अगर ड्राईवर का लाईसेंस बोगस होता है तो वह और बात है तब तो इन्‍ योरेन्स कम्पनी लॉयबल है क्योकि उसमें कान्ट्रैक्ट की बात होती है। लेकिन ऐसे केसिज में इन्‍ योरेन्स कंपनी आसानी से बाहर निकल जाती है।

Shri Randeep Singh Surjewala: He is really raising two faces. Where the vehicle is either not insured, insurance had expired or vehicle is not being used for the purpose for it should be used. Say, a commercial vehicle for carrying passengers which we have seen recent by what should be the fact when insurance company goes out what is the remedy available. I want to point out to him that under Motor Vehicle Act, the victims or their famiy members can still move against the owner of the vehicle. That is the law under the Motor Vehicle Act,1988. Sir, you are very well aware and whenever necessary properties and other assets of such an owner can be

attached and sold the payment of compensation. Except for that Parliament so far has not amended the Act to do any thing further. Motor Vehicle Act is not a local legislation, it is a national legislation framed by the Parliament. This is so far as the provision as it exists today. He has raised a pertinent point. Why should we not impose 'culpable homicide not amounting to murder' on people who are doing rash and negligent driving by misuser of their vehicles?

Shri Bharat Bhushan Batra: While carrying passengers also.

Shri Randeep Singh Surjewala: Obviously. That is misuser by carrying passengers in commercial vehicles. That is a very valid point. I have noted it. It will require a policy initiative on the part of the Government. I can assure the House and my learned friend that we will seriously examine the issue and see what legislative measures can be taken to protect the life and liberty of such passengers as also take punitive actin against such drivers. The second pertinent point that he has raised is that if a vehicle is found carrying contraband why should such vehicle be not seized? Now that is not really a subject matter of this calling attention notice. But he has raised it incidentally. Now I can only say this is any issue that has now been raised by my learned friend. It is pertinent but when we consider the other issues, we shall also consider it.

Mr. Speaker: It is a State Act of a Central Act?

Shri Randeep Singh Surjewala: As I said, Sir, it is an Ac framed by the Indian Parliament. It is a Centrel

Legislation and Rules are framed time to time. I said, we will examine all aspects as to how to bring drivers or vehicles into a punitive framework. Of course, Section 192 has various punitive provisions. I am not even referring to that, Parliament has also taken notice of this and they have constituted what they call the "Sunder Committee" and they are looking at all such aspects of safety and compensation etc. also. What my learned friend raised has been a matter of some debate before the Indian Parliament and they have also noted it and their recommendation have also been circulated to all the State Government so that a final view can be taken and then Act can also be amended. This is only for information of the House. What we can do at a local level. I will certainly ponder over it. We will examine it.

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह मो ान और सवाल पिछले बजट में भी हम लोग लेकर आए थे। मंत्री जी ने जवाब देते समय कहा कि फीगर्ज बढ नही रहे है बल्कि घट रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप देख लें कोई 10,20 या 30 का फर्क होगा। क्या घट रहे हैं, क्या बढ रहे है? इससे हमें एकदम संतुश्ट नही हो जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा और क्या पोजी ान होगी? वायले ान जो हुई है इसको आप खुद मान रह है। मेरे ख्याल में कुल मिलाकर 11 लाख वायले ांज बैठ जाती है। अध्यक्ष महोदय, छोटी सी स्टेट है इसमें 9 लाख 64हजार 750 तो व्हीकल के चालान हुए है। 66 हजार 487 वायलेटर्स के चालान हुए है और 17 हजार 876 ड्रंकन ड्राईवर्ज के चालान हुए है। अध्यक्ष महोदय, हम सारी चीजे जोडते है तो लगभग 11 लाख

चालान टोटल हो जाते हैं। इसका मतलब वायले ा नही वायले ान है। ये आंकडे 7 महीने के हैं। इसका मतलब तो साल में इन चालानो की संख्या 20–25 लाख तक चली जाएगी। इसका मतलब वायले ांज है और वायले ांज के कारण ही एक्सीडैंटस होते है। चाहे रोड सेफ्टी रुल्ज की वायले ान हो चाहे ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक्ट की वायले ान हो । इन्ही वायले ांज की वजह से ही सब कुछ हो रहा है।

Mr. Speaker: Ask your question.

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैने आपके समक्ष इतना बडा कॉलिंग अटैं ान लिखकर दिया है और आपने पढा भी होगा (विघ्न्) सर, यह बहुत महत्वपूर्ण इ ू है और इस पर मै दो बातें कह दूं तो इसमें कोई बुराई नही है। अध्यक्ष महोदय, यह लाइफ का इ ू है।

Mr. Speaker: O.K. carry on as long as you wish.

प्रो0 सम्पत सिंहः धन्यवाद सर, जैसे बतरा जी भी फिगर्ज बता रहे थे कि इतने–इतने एक्सीडैंटस होते है और रोजाना इतने लोग मरते है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, सैनीवास गांव में 29 लोग मारे गये। एक कैंटरमे 70 सवारियां बैठी थी, इतनी ज्यादा सवारी एक कैंटर में बैठेगी तो एक्सीडैंट तो होगा ही। दूसरी वहां की स्थिती देखें, मैडम किरण चौधरी जी को इसकी पूरी जानकारी होगी वह इनका एरिया पडता है। बुद्धसैली और सैनीवास के बीच में कर्व है और वहां पर मिटटी

के टीले होने के कारण आते समय कुछ नजर नही आता। मै मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उन टीलो को केन आदि से ठीक करवाया जायेगा ताकि भविश्य में ऐसे केसिज की पुनरावृति न हो। वहां के अलावा दूसरी जगहो पर भी टीले हैं जिसकी वजह से कुछ नजर नही आता है और एक्सीडैंटस होते हैं इसलिए इस तरफ ध्यान देना चाहिए और रोड पर विजन क्लीयर होना चाहिए। मरने वाले 29 लोगों में 10 औरतें और 3 बच्चे भी भाामिल हैं तथा 35 लोगों को फैटल इंजरी थी, ऐसे में बचा कौन? 29 लोग मारे गये और बाकी के लाईफ टाइम के लिए नकारा हो गये तथा मिला कुछ नही। उन लोगो का कोई कसूर नही था। जैसा बतरा जी कह रहे थे कि मोटर व्हीकल एक्ट में यह प्रावधान किया जाये, वह किया जाये ठीक है, आप पुनिटिव उसमें उसको सजा दें लेकिन वे इसकी मेन वजह नही समझ रहे है। वह वजह यह है कि हम पैसंजर्स को ट्रांसपोर्ट सर्विस देने में फेल है। यदि हम लोगो का प्रोपर बस सर्विस नही देंगे तो वे किस साधन से यात्रा करने जाएंगे। मजबूरी में लोग कैंटर आदि में सफर करते है। यदि कही पर हरियाणा रोडवेज की बस के साथ दस और स्टेटस की बसें खडी हो तो ंलोग पहले हरियाणा रोडवेज की बस में बैठना पसन्द करते है। लेकिन यदि बसें पूरी नही होंगी तो लोग किस में बैठकर जायेंगे। यह सोचने वाली बात है क्या 3000 बसें प्रदे ा के 2.50 करोड की आबादी के लिए सैफीि ायंट है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम अपनी ट्रांसपोर्ट पॉलिस को ठीक बना लें, चाह यह मैटर कोर्ट में पैंडिंग है। इसका मतलब यह नही है कि

मैटर कोर्ट मे पैंडिंग है ता बात खत्म हो गई। यह हमारी डयूटी है कि हम इसको पर यू करें। हम वैल्फेयर स्टेट है इस तरफ हमें ध्यान देना ही होगा और इस तरह के एक्सीडैंटस को रोकना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से ड्राईवर्ज की कंडी ान की तरफ कोई ध्यान नही दे रहा। Commercial vehicles are being used for the passengers also यानि दोनो तरह की एक्टीविटीज होती है। इसमें कहते है कि कामॅ र्यिल व्हीकल्ज की स्टडीज नही है। इस बारे में मै कहना चाहता हूं कि लुधियाना और ऐम्ज की स्टडीज इससे संबंधित आई हुई है। मैने बार बार जिक्र किया है कि वे उस किस्म की म ाीन यूज करते है जो ओ. एस. ए. (Obsessiive Sleep Ammonia) बिमारी के लिए होती है। कॉमर्यिल व्हीकल्ज के ड्राइवर्ज पूरी नींद नही ले पाते ये बिमारी है जिससे ड्राईजुनेस होते हैं। मेरे पास इससे संबंधित आंकडे है ये मै नही कह रहा हूं यह आल इंडिया वैल्फेयर एसोसिए ान के आंकडे हैं। इन ड्राईवर्ज की लाईफ भी आम जनता के मुकाबले इस वर्श कम होती है38 प्रति ात लाइफ कम है और 35–36 परसैंट चालक अविवाहित हैं। यह इन लोगो का लिविंग स्टेंडर्ड है उनकी तरफ कोई ध्यान क्यों नही देता? क्या ये लोग वैल्फेयर में नही आते। मैने इन लोगो के लिए एक म ाीन का जिक्र किया थां। इस बारे में कहा गया कि भारत सरकार इसको एक्ट में लेकर आ रही है और उसका हवाला देकर उसको नाकाफी बताया। मै कहना चाहता हूं कि कामर्यिल व्हीकल्ज के मालिको को कहा जाये कि वे ड्राईवर्ज के लिए सीकपैप म ाीन को मैंडेटरी कर दें

for commercial transport operators कि वे अपने ड्राईवर्ज को ये म ीन दें ताकि वे ठीक से नींद ले सके और उनकी सेहत भी ठीक रहे। ये लोग महीने–महीने तक घर से बाहर रहते है। अकेले रहने के कारण इनको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आदि की लत लग जाती है जिसकी वजह से नये–नये किस्म की बिमारियां इनको लग जाती है इसलिए मै कहना चाहता हूं कि Government should be serious about this. केवल यह कह देने से काम नही चलेगा। अभी सदन में बताया गया कि पिछली बार इतने चालान कटे थे और अब की बार इतने काट दिए गए। आप चालान करते रहे इससे काम नही चलेगा। आपके लोग मरते रहेंगे ओर उनको कोई नही पूछता। एक्सीडैंट होने पर पुलिस भी टाइम पर नही पहुंचती। आप कहते है कि इतनी गाडियां लगा रखी है। एक बार मै स्वयं हिसार से रोहतक की तरफ रात 11 बजे जा रहा था। उस समय गांव बहू के पास एक कैंटर उल्टा पडा था और वहां 7–8 लोग भी उल्टे हुए थे। मैने स्वंय पुलिस को फोन किया और बाद में मुझे पता लगा कि वे लोग वहां पर तीन घंटे से पडे हुए थे। खरकडा में हाईवे की सिक्योरिटी के लिए दी गई गाडी खडी भी थी इसके बावजूद भी किसी ने उनको इन्फार्म नही किया। बाद में वे लोग मेरे पास आते है ओर कहते है कि सर आपका भाुक्रीया कि आपके कारण उन लोगों को सही समय पर मैडिकल एड मिल गई जिससे व`अब ठीक है। मै अगले दिन उनको मिलने गया तो वे सारे के सारे जिवित थे ओर बाद में तंदरुस्त होकर अस्पताल से बाहर आये। इस प्रकार की कई बातें है सारे नियम चाहे वे पुलिस से

संबंधित है चाहे रोड से संबंधित है या फिर चाहे किन्ही दूसरी क्षेत्रो से संबंधित हो उनके उपर सरकार को सख्ती करनी चाहिए। मैन पिछले सै ान में सरकार को इस बारे में काफी सुझाव दिये थे लेकिन आज भी मुझे उनका कही कोई इम्पलीमैंटे ान नजर नही आता।

श्री उपाध्यक्षः सम्पत सिंह जी, आप अपना स्पैसिफिक क्वै चन पूछिए।

प्रो0 सम्पत सिंहः डिप्टी स्पीकर सर, मै क्वे चन ही पूछ रहा हूं। सर, मै यह कह रहा हूं कि पिछले सत्र में भी मैने रोड सेफ्टी बारे में सरकार को काफी सारे सुझाव दिये थे। मै मंत्री जी से यह पूछना चाहता हू कि वे मुझे एक बात ही बता दें कि हमने यह नई चीज नई की है। अगर कुछ नया नही किया है तो ये एक्सीडैंटस होते ही रहेंगे, इनको किसी भी सूरत में नही रोका जा सकता। अगर मंत्री जी ने इस बारे में कोई अमैडमैंट की है तो स्वाभाविक है कि उसका असर भी पडेगा। मंत्री जी ने स्पीड ब्रेकरो की संख्या बताई है कि सरकार ने इतने स्पीड ब्रेकर बना दिये है और इतने मंजूर कर दिये है। मै इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि स्पीड ब्रेकर तो वैसे भी बहुत ज्यादा लगे हुए है। हमारी स्टेट में सडको के ऊपर स्पीड ब्रेकरों की कोई कमी नही है। अगर हम हिसार से फज्लिका जाये ंतो एक भी स्पीड ब्रेकर नही है लेकिन अगर हम रोहतक से हिसार की तरफ आये ंतो हमें 30 किलोमीटर के एरिया में 20 स्पीड ब्रेकर मिलेंगे। मै मंत्री जी

से पूछना चाहात हूं कि क्या इनको बनाने की मंजूरी सरकार से ली गई है और क्या वे नार्म्ज के हिसाब से बने हुए है। मै यह कहना चाहता हूं कि ये स्पीड ब्रेकर लोगो के भारीर और गाडियां दोनो को तोडने के लिए बने हुए है और इनका एक्सीडैंटस राकने से कोई लेना–देना नही है बल्कि मै तो यह कहना चाहूंगा कि ये ऐक्सीडैंट्स करवाने के लिए बने हुए है। ये फायदे के बजाय नुकसान देह ज्यादा है। कुल मिलाकर मै यह कहना चाहता हूं कि स्पीड ब्रेकर बनाना सरकार की कोई उपलब्धि नही है कि ऐक्सीडैंट रोकने के लिए हमने इतने स्पीड ब्रेकर बना दिये है। मै यह कहना चाहता हूं कि कम से कम स्पीड ब्रेकर होने चाहिए। इसका अलटरनेट यह हो सकता है कि जहां पर स्पीड ब्रेकर बनाने की जरुरत हो वहां पर स्पीड ब्रेकर न बनाकर रोड के साथ साथ दोनों साईड मे ग्रिलिंग की जाए जो कि ज्यादा ठीक रहेगी। ऐक्सीडैंटस बचाने का भी यही तरीका है न कि स्पीड ब्रेकर। ये स्पीड ब्रेकर न होकर रोड बैरियर है। मै पूनः कहना चाहता हूं कि ये स्पीड ब्रेकर नही है ये तो आदमी की बाडी और गाडी ब्रेकर है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मै माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो अभी उन्होने स्टैप्स बनाये हैं these are already doing by him. ये तो पहले से किये जा रहे है। मै यह कहना चाहता हूं कि इससे अलग स्टेप्स क्या ले रहे हैं। लोगो को बैटर रोड सर्विस प्रोवाईड नही की जायेगी तब तक ये व्हीकल्ज चलेंगे ओर ऐक्सीडैंटस भी इसी तरह से होते ही रहेगे। अगर माननीय मंत्री जी इस बारे में कोई स्टैप्स उठा रहे है तो मुझे भी उनके

बारे में बताया जाये। इसके अलावा मार्च के बाद अगर सरकार द्वारा इस मामले में कोई नये कदम उठाए गये है तो उनके बारे में भी बताया जाये। धन्यवाद।

श्रीमती सुमिता सिंह(करनाल): डिप्टी स्पीकर सर, हम सभी को मालूम है कि यह एक बहुत ही सिरियस मुददा है क्योंकि जब भी किसी परिवार का कोई सदस्य ऐसे किसी ऐक्सीडैंट में संसार से चला जाता है तो प्रभावित परिवार के सदस्यो के मन मे जो चोट लगती है वह बरसो तक जाती नही है। मै भी मंत्री जी के जवाब को पढ रही थी जिसमें मंत्री जी ने बताया है कि उन्होने 14674 ड्रंकन ड्राइविंग के चालान किये है। मै यह कहना चाहती हूं कि एक तो हम ड्रंकन ड्राईविंग के ऊपर चालान करते है दूसरी तरफ जो ट्रक ड्राइवर है जो ड्राइवर हैं, उनके लिए जगह जगह हाईवे कै ऊपर ठेके खेलने के लाईसैंस दिए हुए है जिनके साथ ही साथ भाराब पीने के आहते बने हुए है। मै मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वे जो हाइवेज पर ढाबे के साथ भाराब के ठेके और अहाते खुले हुए है क्या मंत्री जी इनको बंद करने के बारे में भी विचार करेंगे? इसके अतिरिक्त मै दूसरी बात मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहती हूं कि अब जो हमारे सभी ने ानल हाइवेज़ है उनके उपर 4–4 या 6–6 लेन बनी हुई है वहां पर फास्ट मुविगं लेन है और स्लो मुविंग लेन्ज है लेकिन देखने में यह आता है कि जो स्लो लेन में चलने वाला व्हीकल जैसे ट्रक, आटो वगैरह है वह हमे ाा ही फास्ट मुविंग मे जा रहा होता है

और फास्ट मुविंग को वे साइड नही देते। अगर उस समय हार्न भी बजाया जाये तो वे लैफ्ट साईड से इंडीकेटर दे देते है कि आप उधर से आगे निकल जाओं इन लोगो के बारे में कही भी मैं ान नही है कि अगर आप गलत लेन में गाडी चलायेंगे तो आपका चालान होगा। मेरा यह सुझाव है कि ऐसे व्हीकल्ज के उपर भी ज्यादा से ज्यादा सख्ती हर हाल में होनी चाहिए। हम लोग हाईवे पर काफी ट्रैवल करते है, तो जो चीज देखने में आती है वह ये है कि हाईवे के ऊपर जितने भी वी.आई.पी जाते है उनकी गाडियां आडीज या इस तरह की और बैस्ट गाडियां होती है लेकिन उनकी जो सिक्योरिटी की गाडियां होती है वे मारुति की पुरानी जिप्सीज है। बहुत से ऐक्सीडैंट तो इन मारुति जिप्सीयों की वजह से होते है। अभी हमारे एक मंत्री जी का भी ऐक्सीडैंट हुआ है और इससे पहले भी हमारे एक मंत्री का एक्सीडैंट हुआ था। इसलिए मेरा अनुरोध है कि उनकी गाडियों को भी बदल देना चाहिए। हमारी गाडियों के आगे जो सिक्योरिटी वाले चलते है उनके कारण भी कई बार एक्सीडैंट होते है। एक दिन मैने खुद देखा और जो हमारे मंत्री जी थे मैने उनको गाडी रोक कर बताया भी। उनकी सिक्योरिटी में जो जीप आगे चल रही थी उन्होने एक ट्रक जो बिल्कुल अपनी साइड से जा रहा था उसको दूर हटने मे टाइम तो लगता ही है। पुलिस वाले ने मेरे सामने ड्राईवर को डंडे मारे, ये सब चीजें भी गलत हैं। ठीक है जो वी.आई.पी. है उनको जगह मिलती चाहिए लेकिन ट्रक वाले जो वैसे ही बहुत लम्बा सफर तय

करते है उनके साथ भी इस तरह की नाजायज बात नही होनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री भारत भूशण बतराः उपाध्यक्ष महोदय, कई बार जो हमारे एक्सीडैंटस होते हैं और हमारा मीडिया भी उसके बारे में काफी कुछ लिखता है लेकिन वहां पर जो नैग्लीजैंस का पर्चा दर्ज होता है उसी को धारा 304 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस तरह के बहुत से इंस्टांस है मुझे माननीय मंत्री जी को इस बारे में बताने की जरुरत नही है। सर, मै स्पेसिफिक प्र न पूछ रहा हूं कि अभी पिछले दिनो भिवानी में सैनीवास के पास जो एक्सीडैंट हुआ था जिसमें कैंटर की टककर में 29 लोग मारे गये थे, उस कैंटर में 70 आदमी सवार थे। क्या ये culpable homicide not amounting to murder नही है और क्यों नही इस केस को उस तर्ज पर ऐग्जामिन किया जाना चाहिए जिस तर्ज पर दूसरे एक्सीडैंटल केस दर्ज होते है जहां पर धारा 304 लागू होती है वहां आप देखेंगे कि वॉयले ान हुई है। एक कैंटर में 70 आदमी बैठे हुए थे उनमें से 29 की मौत हो गई ओर उनमें से 35 घायल है और घायलों में भी 5–6 की मौत हो चुकी है। इस तरह से 34–34 आदमी मारे गये। एक ड्राइवर एक तरह से मौत का सौदागर बन गया। उसके उपर आज 304 का पर्चा या 304 ए का पर्चा दर्ज करके कोर्ट में चालान पे ा कर रहे है क्यों न इस केस को as an example ऐग्जामिन किया जाये और कि 304 में culpable homicide not amounting to murder यह केस फिट होता

है या नही होता है। मै माननीय मंत्री जी से रिक्वैस्ट करुंगा कि जो पुलिस अथॉरिटी है या जो होम सैक्रेटी है उनको इस प्रकार की हिदायतें दे दी जायें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः उपाध्यक्ष महोदय, भिन्न–भिन्न सम्मानित सदस्यों ने कई वाजिब प्र न उठाएं है।सबसे पहले तो मै सरकार की ओर से अपने आपको भी उनकी भावनाओ से जोडता हूं। Sir, I have already said in reply to an earlier questin by Sh. B. B. Batra कि जो रोड एक्सीडैंट डैथ है वह दे ा में एड्स से भी बडा किलर है। (विघ्न्)

प्रो0 सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, जो फिगर्ज दी गई है मै उन पर थोडा सा प्रका ा डालना चाहता हूं। हमारी आबादी दे ा की आबादी का 2 परसैंट है और दे ा की एक्सीडैंट की फिगर के मुकाबले जो एक्सीडैंट की फिगर दी गई है वह 5 परसैंट है। दे ा की आबादी के हिसाब से आज 2 गुणा ज्यादा एक्सीडैंट हो रहे है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यो ने कई प्रकार की चिंता जाहिर की है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ड्राइविंग ओर रोड एक्सीडैंटस है और सब बातों के साथ मै अलग अलग प्र नो का जवाब दूंगा। मै आपका और माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ड्राइविंग जहां और बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है वहीं

वह व्यक्ति वि ोश पर बहुत निर्भर करती है। एक बात जिसको स्व अनु ाासन कहते हैं।

Since of discipline and responsibility on the roads is a pre-requisite for safe driving on the roads. Government can, will do, can do and will continue to take harsh measures, take more steps. Howeverthere is no way the Government can, regulate or watch every vehicle plying on the road. There is a two-wheeler, four wheeler, six, eigh and ten vehicles. Ultimately a scene of self-discipline has to prevail and that is an atmosphere that all of us have to work towards in propagating amongst our children, amongst the adulst, amongst everybody who drives on the roads including the members of our families. We all need to know that helmets have to worn. We all need to know that seat belts are life saving devices. We all need to know that over-speeding kills. We all need to know that lane driving is sane driving. We all need to know that we have to adhere to all traffic norms including not jumping red lights. If all of us were instill some sense of discipline amongst our own as also in environment around us then the accidents can definitely be curtailed. Having said that Sir, there are two valuable suggestions that Ch. Sampat Singh raised. One is regarding Oasis. Sir, abroad now in many European Countries as also I think in Unites States, two devices have now been made compulsory by Governments for vehicles. And one is thatif there is a sensor, if the driver is falling a sleep then the vehicle would make a noise and will try to wake up the driver or ultimately, now in Europe I am told that there are also vehicles fitted with devices that a vehicles will break and will slow it down so that

if the driver is drowsy he/she will wake up.That is a good measure. As already pointed out, Sunder Committee was appointed by the Indian Pariament and the Report has been sent to various States for comments. The States will also sent their own comments and finally it wil have to be universally applied across India and not in Haryana alone. Once cannot restrict it to Haryana vehicles as the traffic is free across the country. So it would have to be applied universally. Second was although the Hon'ble Excise and Taxation Ministerwould answer Mrs. Sumita Singh's specific question qua opening of liquor vends on the National Highway on Roads. But I only want to say that similar devices are now available for drunken driving. If you are drunk and you sit on the steering wheel, the vehicle would not state. Those devices are also now available and some of the European Countries have now made it mandatory for the motor vehicles manufacturers commercial vehicle manufacturers to install such devices. This is also a policy matter for the entire Country and I am sure Indian Parliament would be looking at the issue. They will been examining the issue. Sir, as far as specific issue was raised by both Ch. Sampat Singh and also by Shri B.B.Batra qua the incidents at near Siwani and Bhiwani where 29 people have lost their lives, I think there have been additional 2-3 casualities thereafter. All those pilgrims happened to belong to Kalayat, District Kaithal. One of them was from my Assembly Constituency also. Sir although there is nor provision but considering the gravity of the accidents, Hon'ble Chief Minister, besides the amount that is available under the Rajiv Gandhi Beema Yojna, has also sanctioned a sum of Rs. 3 lacs to each of the victims. Ch. Sampat Singh said nothing has been paid. It is factually not correct. Rajiv Gandhi Beema

Yojna money, according to my knowledge has been paid and remaining amount has also been sent by the Government. Yes, it is one of the incidents and Government cannot intervene in every case. Commercial Vehicles cannt be misused in this fashion. I have already said earlier, while intervening on replying to the question by Shri B. B. Batra,almost the issues that Government of India will examine. We will examine separately also as to the modalities and punitive measures that can be taken. Qua drunken driving, Rajya Sabha has already passed a legislation for qua making the punishment for drunken driving more stringent and the concerned Bill is now pending in the lok Sabha. The whole aim of the Bill is to introduce a graded approach depending upon the level of alcohol that has been consumed by the driver which comes out on the test. Sir, Ch. Sampat Singh has also mentioned about the issue that the genesis of these accidents is lack of more private sector transportation facilities and Government sector transportation facilities available in the State. I completely agree with him. With you concurrence, Sir, But I also want to bring t his notice and the notice of the house that thrice the High Court has quashed the Transport Privatization Scheme of the State Government including the present one. For the last ten years, the State has been forming schemes and people who have vested interest have beenchallengig those shemes. It has been stayed and finally our latest scheme also, to my knowledge, has been now returned back and a new scheme would now have to be drafted afresh. The last scheme that we drafted, Ch. Sampat Singh had also praised it. I remember in the Vidhan Sabha that it will give opportunities of employment to our youth. It will provide better connectivity. But is was challenged in the High Court. Finally, the scheme has also

lapsed and the new scheme is now under preparation. I can only assure him that we will do our best. We will rectify any possible defects. The intentin of the Government is transparent and honest. We want that private sector should participate alongwith public sector. It should create opportunities of employment but more so it should create opportunities of better transportation facilities so that the people do not have to use commercial vehicles. Sir, he also raised the issue of no ambulances or other medical facilities being available. I want to clarify and point out that there is now a centralized number, the toll free number that has been provided for by the Government of Haryana. To my knowledge it is 102. 335 ambulances have been provided and 21 advance life support system, the bigger ambulances which also have a minor OT facility, have been provided already by the State Government. In Haryana, all CHCs have one ambulance, all hospitals have an ambulance and there is one ambulance available on two PHCs. That is what we are trying to do. Smt. Sunita Singh pointed the issue of VIP security vehicles. I have taken note of it. I will be passing necessary instructions to our District General of Police and we will issue instructions is writing that no misbehaviour by any cop whether he is with an Administrative Service Officer or with a political person big or small plying on the road. I can assure my learned friend that we will be issuing necessary instructions to incharges of all security personnel. Sir, Shri B.B.Batra also pointed out regarding Sainiwas case. I will take the details of the case lodged and will pass it on to him since it is a specific matter. Now I will request learned Excise and Taxation Minister.....(Interruption) Sir, I have answered to 9 questions already. 4 questions are left. 14 supplementaries have been

raised. The precedent is for only two supplementaries. (Interruption) Let the Minister atleast answer.

श्री भारत भूशण बतराः अनआंसर्ड क्वै चन यह है कि मंत्री जी, आप सिर्फ रिपोर्ट भेजेंगे, उससे बात नही बनती है।

There is an example and it was in the media also that eminent drunken drivers like Salman Khan, he was drunkard and he crashed so many persons. He was booked under 304. Then Sanjiv Nanda, he was under 304. Here is a person is taking 31 lives and the second thing is that they are not given any compensation. Then what is the solatium to the families. What will happen to the families? In that case you are not assuring before the House that we will examine और इसमें 304 अगर बनेगी culpable homicide not amount to murder. Man should have knowledge कि अगर वह भाराब पी कर गाडी चलाता है तो उस हालत में ऐक्सीडैंट हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है और उसका चालान भी हो सकता है। इसी प्रकार 70 आदमियों को एक कैंटर में बैठाकर ले जाया जा रहा था और उसका एक्सीडैंट होने से 31 आदमी मौके पर ही मारे गए। गाडी चलाने वाले ड्राईवर को यह नालेजहोनी चाहिए कि अगर ऐक्सीडैंट हा जाता है तो उस पर 304 का केस बनेगा और उसे सजा भी हो सकती है। इसलिए मेरी मंत्री जी से रिकैवस्ट है कि आप सरकार की तरफ से कोई ऐसी रिक्मंडे ान करे कि कॉमि र्यिल व्हीकल्ज का प्रयोग सवारी ढोने में न किया जाए। अगर आप ऐसा करते है तो यह उन 31 लोगों के लिए इंसाफ की

बात होगी जो कि ऐक्सीडैंट मे मारे गए थे। जिनकी फैमिली लुट गई है कम से कम उसके लिए दोशी लोगो को सजा तो मिले..... that question remains still unanswered. (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

Mr. Speaker: I think this has been very lengthy discussion on this topic.

Shri Randeep singh Surjewala: Speaker Sir, I have already answered to Shri B.B. Batra question second time also. I have said that use of commercial vehicles for passangers is a matter of a lot of concern. A very Serious accident recently took place which has further highlighted the issue. I said what punitive measures can be taken as a matter of policy as also in the individual case, we will examine. I have already assured the House. May I know request learned Excise and Taxation Minister to answer to that part of the question because she can give better answer to the supplementary raised by Smt. Sunita Singh.

Smt. Kiran Choudhary: Hon'ble Speaker Sir, in regard to the quety raised by out Hon'ble Member Smt. Sumita Singh ji, I would like to tell her that these vends which are auctioned ocme under the command area and within the command area these vends can be placed anywhere else. it is notup to the department to say that you will place your vends in A B C D any of these places that is No. 1, No.2 as far as vends are anywhere at religius place, anywhere that there is a school or as far s hospital are concerned. the fact of the matter is that there is a policy in this regard. However, in the

future we have also to take it in consideration that these vends are also giving a large amount of revenue through which a lot of development work in the entire State is taking place. If, it is considered that we make a policy on that we are amenable to that matter but it is a fact that the department has nothing to do with the vends are placed. It is not the department that places the vends on the National High way.

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, वैसे तो इस इ ा पर काफी डिस्क ान हो चुकी है लेकिन 2–3 बातें अभी भी रह गई हैं। एक तो मैने मंत्री जी से यह पूछा था कि पिछले बजट सै ान के बाद जो 4 महीने बीते है उसमें सरकार ने क्या क्या स्टैप्स इस बारे में लिए हैं। जो स्टैप्स आलरेडी लिए गए थे उनके बारे में तो मंत्री जी ने हाउस में बता दिया है। स्पीकर सर, इसमें सबसे बडी अहम बात ट्रांसपोर्ट की हुई। पहले वाली पॉलिसी को हाई कोर्ट ने रिजैक्ट कर दिया और अब इस बारे में दूसरी पॉलिसी बना रहे हैं उस पॉलिसी को लाने से पहले से ही मै बार बार कह रहा हूं। मैने भी करीब 30 सजै ान ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के बारे में दिये थे। I appreciated that. उससे पहले कोई कंसल्टैंट भी इन्होने इसबारे में लगाया था लेकिन उसने इस ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की बुरी तरह से खिचडी बना दी थी कि बाद में उसे उन्हे जी. एम्स और डी. सीज. को देनी पडी थी। मैने इस बारे में सुझाव दिया था और उस माना भी गया था। एक सजै ान मेरा उसमें यह था वह मै बार बार कह रहा हूं। पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि क्यों न हम केरला की पॉलिसी को स्टडी कर लें। केरला

हमारे इंडिया के अन्दर है। हम विदे ाो की सडको और पापुले ान पर नही जाएंगे। जहां तक ऐजूके ान की बात है ऐजूके ान के मामले में केरला को उपर माना जात है लेकिन आज के दिन एजूके ान का स्टैन्डर्ड हमारा भी बढ रहा है। हमारे यहां भी एजूके ान के आंकडे 75–76 और 78 परसैंट पर पहुंच गए है। मै चाहूंगा कि मंत्री जी और आफिसर्ज एक बार केरला की टरांसपोर्ट पालिसी पढ लें। वहां आज के दिन 2 हजार सरकारी बसें चल रही है और 32 हजार प्राइवेट बसें चल रही हैं। वहां आपको अनअथोराइज्ड व्हीकल एक भी नजर नही आएगी तो ऐसे में इस तरह के ऐक्सीडैंटस का सवाल ही पैदा नही होता। अध्यक्ष महोदय, हम विदे ाों मे भी स्टडी के लिए जाते है तो यदि दूसरी स्टेट में एक अच्छी पॉलिसी चल रही है तो उस स्टेट की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को स्टडी क्यों नही कर सकते, उसको एडोप्ट करने में क्या हर्ज है? रोड्ज के बारे में भी मै बार बार कह रहा हूं कि जैसे पार्किंग एरियाज, रैस्ट एरियाज और सर्विस एरियाज कहीं भी नही है बल्कि इन्काचमैंटस है। किसी भी छोटेसे छोटे भाहर से होकर आप गुजरते है चाहे वह हाइवे के उपर है। वहां दुकानदान दुकानें सडको तक आगे बढा लेते है, रेहडी खडी हो जाती है, गाडियां सवारियां लेने के लिए खडी हो जाती है। रास्ता छोडती ही नही। गाडी आती है और एकदम उसके अंदर आकर लगती है। जब तक हम इन चीजो को दूर नही करेगे, कंट्रोल नही करेगे जैसे रोड की इन्काचमैंटस हो रही है, पार्किंग फैसिलिटी नही दी है, जगह जगह थ्री व्हीलर खडे है। जब तक रैस्ट के लिए

सडक पर जगह नही देंगे और पार्टीकूलर एरिया के बाद वाईडनिंग नही करेंगे, चाहे वह सडक 20 फुट की हो या 30 फुट की हो इसके लिए आप सर्विस एरिया क्रिएट करे और कुछ किलोमीटर के बाद आप सडको को थोडा चौडा करे ताकि अगर गाडी खराब हो जाती है तो ड्राईवर नेचुरल काल के लिए जाता है तो उसको ऐसी सूविधा तो मिल कि वह गाडी सही जगह पर पार्क कर सके वरना उसके जहां भी जगह मिलेगी वह गाडी को खडी कर देंगा। पहले ही सडक पर इतना स्पेस नही होता है और उसके बाद चाहे आप 6,8,और चाहे 10 बेज की सडक बना दीजिए। जब तक आप ट्रैफिक रुल्ज को लागू नही करेंगे और गाडियों के लिए पार्किंग की फैसिलिटीज नही देंगे, सर्विस एरिया नही देंगे, रैस्ट एरियाज नही देंगे तो इतने चौडे रोड्ज बनाने का कोई फायदा नही है। बर्मज की तो बरसात के दिनो में जितनी बुरी हालत होती है उसका तो आपको पता ही है। आप तो फिल्ड में जाते ही रहते है। थोडी सी गाडी इधर उधर हो गई तो गाडी पल्टा खा जाती है। जहां तक कैंटर में 70 सवारियां भरी हुई थी, उस बारे में बात की गई है, मै नही कहता कि उस गाडी के ड्राईवर ने भाराब पी हुई थी या नही? यह तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कैंटर की सर्विस और उसमें 70 सवारियां भरी हुई थी तो वह अपने आप झोल मारेगा और थोडी सी गलती के कारण ऐक्सीडैंट हो गया और इतने सारे आदमी मर गए। कैजुअल्टी तो बहुत जबरदस्त है इससे सीरियस ऐक्सीडैंट नही हो सकता। इसलिए मै कह रहा हू कि इनकी तरफ हमें ध्यान देना पडेगा। जब हम सब

तरफ से नम्बर वन पर आ रहें है तो क्यों नही हम रोड्ज सेफ्टी और हैल्थ की तरफ भी ध्यान दें। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह लगभग वही जवाब है जो मार्च के सै ान के दौरान दिया था। so we want some qualitative addition. इतने यंग वजीर बैठे हुए है, जैसे अभी राव नरेन्द्र सिंह जी के एक्सीडैंट के बारे में जिक किया गया तो मुझे तो जब यह मालूम हुआ तो बहत चिंता हुई। राव नरेन्द्र सिंह जी है, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी है, श्री परमवीर सिंह जी है। ये सभी इतने हायली क्वालीफाईड मंत्री है। स्टेट के लिए इनका बहुत इम्पोरटैंट रोल है और इनका भविश्य में दे ा के लिए एक महत्वपूर्ण रोल होना है। ऐसे लोगो को चोटें लग जाए तो बडा अफसोस होता है। इससे यह लगता है कि हमारे सिस्टम मे कोई न कोई गलती अव य है इसलिए ऐसी गलती को अव य सुधारें क्योकि हर आदमी की लाइफ प्रैि ायस है जो हमारे मंत्री है वे तो और भी ज्यादा प्रैि ायस है।

Mr. Speaker: Thank you, Hon'ble Minister you need to reply.

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, I have noted down the suggestion. Just a factual clarification, the accident of the Hon'ble Health Minister that took place,he did not take place on any road in Haryana territory nor on any Highway. It took place on the road i.e. called the Lake Road, Chandigarh where on the turning of the Lake Road while going towards the Raj Bhawan a truck of the Border Securit Force had lost control and came in and hit into the Government Vehicle of the Minister causing the accident. Neither was the

Minister's vehicle over-speeding nor was it being escorted by any other vehicle.

प्रो सम्पत सिंहः स्पीकर सर, फैसिलिटीज के बारे में पिछली सै ान में मैने एक सवाल पूछा था कि आप फैसिलिटीज प्रोवाईड करेंगे या नही?

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, I have already replied twice to Ch.Sampat Singh's queries as also to Shri Bharat Bhushan Batra's queries.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Parliamentry Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

Industries Minister(Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the previous of the Rule Sittings of the Assembly's indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the previous of the Rule Sittings of the Assembly's indefinitely.

Mr. Speaker: Question is-

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the previous of the Rule Sittings of the Assembly's indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Parliamentry Affairs Minister will mobe the motion under Rule 16.

Industries Minister(Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That the Assembly at is rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Assembly at is rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Speaker: Question is-

That the Assembly at is rising this day shall stand adjourned sine die.

The motion was moved.

याचिका समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now Shri Bharat Bhushan Batra, Chairperson of the Committee on Petitions,

will present the Second Report of the Committee on Petitions for the year 2012-2013.

Shri Bharat Bhushan Batra(Chairperson, Committee on Petitions): Sir, I beg to present the Second Report of the Committee on Petitions for the year 2012-2013.

विधान कार्य–

1. दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान (नं 3) बिल,2012

Mr. Speaker: Now the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriating (No. 3) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No.3) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

2. दि महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (सैकेण्ड अमैडमैंट) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will introuduce the Maharashi Dayanand University (Second

Amendment) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to introduce the Maharashi Dayanand University (Second Amendment) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That the Maharashi Dayanand University (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Maharashi Dayanand University (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

प्रो. सम्पत सिंह (नलवा): अध्यक्ष महोदय, To save the time of the House आप जितने भी युनिसर्सिटीज से संबंधित बिल लेकर आए है मै उनके बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी ि ाक्षा की तरफ और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देकर हरियाणा में बहुत सी युनिसर्सिटीज लेकर आए है। उन्होने हर एरिया में युनिसर्सिटी बनाई है चाहे वह सैंट्रल युनिसर्सिटी की बात हो, चाहे डिफैंस युनिसर्सिटी हो, चाहे स्पोर्टस युनिसर्सिटी हो या टैक्नीकल युनिसर्सिटी हो या मैडिकल युनिसर्सिटी हो। स्टेट में सब जगह से युनिसर्सिटी फैलाई गई है इसमें कोई दो राय नही है। सबसे बडी उपलब्धि गवर्नमैंट आफ इंडिया से जो इंस्टीच्यूट लेकर आए है उनमें आई आई एम रोहतक है and I have visited there. अध्यक्ष महोदय, निफ्ट जो आपके एरिया में है

वह भी बहुत बढिया इंस्टीच्यू ान सरकार लेकर आई हैं। इसी तरह सैंट्रल युनिसर्सिटी लेकर आए है। आई.आई.टी सैंन्टर के बारे में पिछले दिनो हमारे यंगर एम.पी. दीपेन्द्र हुडडा जी का बयान आ रहा था कि यहां उसका कैम्पस होगा। इसी तरह सैकेण्ड एम्स हम यहां लेकर आ रहे हैं। ये सारे टोप क्लास इंस्टीच्यू ान आ रहे है। मै डायरेक्टर, आई आई एम से मिलकर आया था, डायरेक्टर या वाइस चांसलर निफ्ट से भी मिलकर आया था तो मैने उनस पहला प्र न पुट किया था कि हमारे यहां फैक्लटी की बहुत दिक्कत आ रही है, हम टीचर्ज नही मिल रहे। क्या आप भी इस तरह की किसी समस्या को फेस कर रहे है तो उन्होने मुस्कुरा कर जवाब दिया था कि हमें इस तरह की किसी किस्म की कोई दिक्कत नही है। आई आई एम रोहतक के अन्दर अगर टोप क्लास फैक्ल्टी आ सकती है, निफ्ट सोनीपत के अंदर अगर टोप क्लास फैक्ल्टी आ सकती है तो मुझे यह अचम्भा है कि डूसरी जगहो पर ऐसा क्यो नही हो सकता? क्योकि बिल्डिंग बनाने से काम नही चलेगा। हमारी जितनी भी युनिसर्सिटी हैं उनमें फैक्ल्टी पर ध्यान देना चाहिए। हमारी जो रोहतक युनिसर्सिटी है उस एरिया से बहज जी आती हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी और दूसरे सदस्य भी वहां से आते है। वह एक सैंट्रल प्लेस है और हर जगह का बच्चा वहां आ सकता है। वहां के लिए चारो तरफ से बस सर्विसिज भी है। क्या ंरोहतक युनिसर्सिटी में अच्छी फैकल्टीज नही आ सकती। आज वह युनिसर्सिटी बी प्लस से बी पर आ गई है। हमें मैन पावर की तरफ ध्यान देना ही पडेगा। रोहतक मैडिकल कालेज के बाद

मैडिकल युनिसर्सिटी बनी है और केवल दो ही पोस्टें मैडिकल फैकल्टीज की मंजूर की गई। वे दो असिसटैंट प्रोफैसर बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के ही आए और इसके अलावा एक पोस्ट भी मैडिकल फैकल्टी की मंजूर नही हुई। हमारी मैडिकल युनिसर्सिटी बन रही है जो कि सबसे ज्यादा प्रीमियर इंस्टीच्यूट है। पी.जी.आई चण्डीगढ से भी ज्यादा ओ.पी.डी मैडिकल कालेज रोहतक की है। नाम मात्र का मैडिकल कालेज तो हमारे एरिया में अग्रोहा मैडिकल कालेज है जिसको 99 प्रति ात ग्रांट सरकार दे रही है। उधर कोई ध्यान नही दिया जा रहा। जिस तरह से परचून की दूकान चलती है उसी तरह से वह मैडिकल कालेज चल रहा है। वह ऐसा मैडिकल कालेज है जहां नर्सिंग व दूसरी कामर्ि ायल ऐक्टीविटिज चल रही है और कोई हिसाब किताब नही है। उसमें मैडिकल कालेज वाली कोई बात नही है लेकिन रोहतक मैडिकल कालेज आज का नही बहुत पूराना है। इसकी तरफ वि ोश ध्यान दिया जाना चाहिए। कुरुक्षेत्र युनिसर्सिटी ठीक चल रही है लेकिन बाकी की युनिसर्सिटी मे फैक्ल्टी की जरुरत है। चाहे मैडिकल युनिसर्सिटीज है, चाहे टैक्नीकल युनिसर्सिटीज है या अंदर सब्जैक्ट्स की युनिसर्सिटीज है गॉड सेक पूरा प्रयास करें कि वहां फैक्ल्टीज में कोई कमी न रहे। टैक्नीकल एजूके ान को छोडकर सारे महकमें मंत्री महोदय के पास ही हैं इसलिए मंत्री महोदय इस तरफ स्पे ाल ध्यान दे ताकि जहां वर्श 2020 के अंदर जब भारत वर्ल्ड में यंग कंट्री होगा तो हरियाणा वर्ल्ड मे सबसे बढिया स्टेट होगी। मै बार बार यही कहना चाहता हूं कि मैन पावर की तरफ

ध्यान देने की जरुरत है और बाकी के साधन तो मुख्यमंत्री जी कर रहे है। चाहे पलवल हो, चाहे रेवाडी हो और चाहे रोहतक हो, पानीपत हो, हमारे चारो तरफ के हाईवेज 90–90 कि.मी.तक फोर या सिक्स लेनिंग हो रही है। हर जगह ओवर ब्रिजिज भी बन रहे है। मैट्रो स्टे ान भी आ रहे है। इससे हमारे प्रदे ा में हर तरह की इनवेस्टमैंट होगी जिससे जबरदस्त रोजगार भी आयेगा ओर स्टेट की रैवेन्यू भी बहुत मिलेगा लेकिन उसमै मैन पावर की बहुत खपत होगी उसके लिए हमें तैयार रहना है। अध्यक्ष महोदय, मै टैक्नीकल एजूके ान के बारे में कहना चाहता हूं कि जिन आई. टी. आईज़ या पोलिटैकनिक्स का कोलोबरे ान प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ किया था उसमें देखने वाली बात यह है कि कितनी इण्डस्ट्रीज ने बच्चो को रोजगार दिया है। हमारें यहां नलवा क्षेत्र कं अंदर नलवा गांव मैं आई.टी.आईहै वह भी किसी इंडस्टरी के साथ टाइअप है लेकिन वहां के एक बच्चे को भी पिछले तीन वर्श से रोजगार नही मिला है। हम अभी पी.ए.सी. कमेटी के विजिट पर गुडगांव और फरीदाबाद गये थे। वहां देखा कि कुछ इंडस्टरीज बहुत अच्छा काम कर रही है और 100 प्रति ात रोजगार उनसे टाइअप आई.टी.आईज. के बच्चों को दे रही हैं मेरे पास पी.ए.सी. की रिपोर्ट है, मै दिखा सकता हूं।

Mr. Speaker: Mr. Sampat Singh, you have come from universities to I.T.Is. We are already talking about universities not about I.T.Is. Please restrict yourself only to universities not I.T.Is

प्रो0 सम्पत सिंहः ठीक है सर, युनिसर्सिटीज पर आते हुए अंत में मै केवल यही कहना चाहता हूं कि फैक्ल्टीज की तरफ सरकार को वि ोश ध्यान देना चाहिए।

श्रीममती गीता भुक्कल मातनहेलः जिसके हिसाब से यू. जी.सी. ने हरियाणा स्टेट को डॉयरैक ांज दी है कि खासतौर से हमारे यहां आफ कैम्पस या आफॅ भयोर कैम्पस नही खोले जाये। हमारा जो प्राईवेट युनिसर्सिटी एक्ट है उसमे हम पहले ही अमैडमैंट लेकर आ चुके है और आज सभी युनिसर्सिटीज के लिए जो हमारा एक्ट है उसमें हम अमैडमैंट इसलिए लेकर आ रहें है कि हरियाणा मै इस समय हमारे पास बहत अच्छा इंस्टीच्यू ानल नैटवर्क है जिसके अंदर हमारी करीब 30 युनिसर्सिटीज है और 693 कालेज है जिनमें गवर्नमैंट कालेज है, गवर्नमैंट ऐडिड कालेज है और सेल्फ फाईनेंस कालेज भी है। इसी प्रकार से हमारे दो पोस्ट ग्रेजुएट रीजनल सैन्टर भी है। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे ऐसे इंस्टीच्यूटस है जो कि हरियाणा में इस समय बहुत अच्छी तरह से ि ाक्षा के क्षेत्र में आगे बढ रहे है इस प्रकार से सरकार द्वारा न केवल स्कूली ि ाक्षा बल्कि हॉयर ऐजूके ान की तरफ भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसी प्रकार राजीव गांधी एजुके ान सिटी में हम न केवल ने ानल लेवल के बल्कि इंटरनै ानल लैवल के इंस्टीच्यूट भी लेकर आये है। जैसा कि मै बार बार कहती हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी हरियाणा को ि ाक्षा का हब बनाना चाहते है।

Mr. Speaker: Hon'ble Minister, Hon'ble Member wanted to know about faculty.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेलः स्पीकर सर, मै उसी पर आ रही हूं। सर, जहां पर हम हरियाणा को एजुके ान हब बनाना चाह रहे है वहां इंस्टीच्यूटस के साथ साथ हमारी यह मान्यता है कि ये दुकाने न बने अच्छी और क्वालिटी एजुके ान की उपलब्धता भी हम सुनि चत करना चाहते है जिसके लिए क्वालिटी टीचर और फैक्ल्टी हम यहां पर लेकर आयें। आज की अमैडमैंट हम इसलिए लेकर आ रहे है to control the commercialization of higher education कि हम आफॅ कैम्पस और आफॅ भयोर कैम्पस को इसमें अमैंड करैंगे ताकि हमारे जो अच्छे इंस्टीच्यूट है जो यूनीवर्सिटीज़ है ओर जो कालेजिज है उनमें बच्चे पढते रहे और इसलिए हम आज यह अमैडमैंट लेकर आये है। माननीय सदस्य का सुझाव बहुत ही सही है लेकिन हम टीचर ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट भी, रिसर्च सैंटर भी और सैंट्रल यूनीवर्सिटीज भी हरियाणा में लेकर आये है ताकि हमारी यूनीवर्सिटीज और कालेजिज के लिए अच्छी फैक्ल्टीज़ हमें अवेलेबल हो सके।

Mr. Speaker: Hon'ble Minister, Hon'ble Member talking about Government Universities. मंत्री जी, माननीय सदस्य यह कह रहें है कि गवर्नमैंट यूनीवर्सिटीज में फैक्ल्टी पूरी नही है। आप इस बारे में जवाब दीजिए।

श्रीमती गीता भुक्कलः स्पीकर सर, इस बारे में मै कहना चाहती हूं कि हम गवर्नमैंट यूनीवर्सिटीज में नये से नये पी. जी. कोर्सिज और जॉब ओरिएंटिड कोर्सिज़ लेकर आ रहे है। हमारी पूरी कोि ा ा रहती है कि गवर्नमैंट यूनीवर्सिटीज में रेगुलर अप्वायमैंट भी होती रहे और रिसर्च वर्क भी बराबर होता रहे। जो हमारा नैट और पी.एच.डी. क्वालीफाईड स्टाफ है उनकी रेगुलर अप्वायंटमैंट चल रही है। कालेजिज के लिए भी हमारी 1035 लैक्चरार की रिक्वायरमैंट एच.पी.एस.सी. को गई हुई है और जैसी ही कैंडिडेट्स उपलब्ध होंगे, उसके बाद ये भर्तियां कर ली जायेंगी। सबसे जरुरी बात यह है कि आज हरियाणा में ग्रॉस एनरोलमैंट रे ाो ने ानल ऐवरेज से बहुत ज्यादा बढिया है और हमारी पूरी कोि ा ा है कि न केवल इंटीच्यूट बल्कि उनमें पढने के लिए बढिया फैक्ल्टी हमारे पास टाईमली अवेलेबल हो जिसके लिए सरकार के स्तर पर कारगर रुप से प्रयास अनवरत जारी है।

Mr. Speaker: Question is-

That the Maharshi Dayanand University (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Hous will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from Education Minister in existing Clause 2. Now, the Education minister will move an amendment.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move-

"For the existing Clause 2, the following Clause shall be substituted-

"(3) The university shall not, itself or through franchise or ageny, operate or open any off campus centre and study centre:

Provide further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administerted by the University."

Mr. Speaker: Motion moved-

"For the existing Clause 2, the following Clause shall be substituted-

"(3) The university shall not, itself or through franchise or ageny, operate or open any off campus centre and study centre:

Provide further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administerted by the University."

Mr. Speaker: Question is-

"For the existing Clause 2, the following Clause shall be substituted-

"(3) The university shall not, itself or through franchise or ageny, operate or open any off campus centre and study centre:

Provide further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administerted by the University."

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2, as amended, stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Education Minister will move that the Bill as amended be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move-

That the Bill as amended be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill as amended be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill as amended be passed.

The motion was carried.

3. भगत फूलसिंह महिला वि ववविद्यालय खानपुर कलां (सैकेण्ड अमैडमैंट) बिल, 2012

Mr Speaker: Now, the Education Minister will introduce Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Second Amendment) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to introduce Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Second Amendment) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Hous will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from Education Minister in existing Clause 2. Now, the Education minister will move an amendment.

“For the existing Clause 2, the following Clause shall be substituted-

“(3) The university shall not, itself or through franchise or ageny, operate or open any off campus centre and study centre:

Provide further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administerted by the University.”

Mr. Speaker: Motion moved-

“For the existing Clause 2, the following Clause shall be substituted-

“(3) The university shall not, itself or through franchise or ageny, operate or open any off campus centre and study centre:

Provide further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administerted by the University.”

Mr. Speaker: Question is-

“For the existing Clause 2, the following Clause shall be substituted-

“(3) The university shall not, itself or through franchise or ageny, operate or open any off campus centre and study centre:

Provide further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administerted by the University."

The motion was carried.

Clause1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2, as amended,stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Education Minister will move that the Bill as amended be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move-

That the Bill as amended be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill as amended be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill as amended be passed.

The motion was carried.

4. दि कुरुक्षेत्र यूनिसर्विटी (सैकेण्ड अमैडमैंट) बिल, 2012

Mr Speaker: Now, the Education Minister will introduce Kurukshetra University (Second Amendment) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to introduce Kurukshetra University (Second Amendment) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That the Kurukshetra University (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Kurukshetra University (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Kurukshetra University (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from Education Minister in existing Clause 2. Now, the Education minister will move an amendment..

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move-

"For the existing Clause 2, the following Clause shall be substituted-

"(3) The university shall not, itself or through franchise or ageny, operate or open any off campus centre and study centre:

Provide further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administerted by the University."

Mr. Speaker: Motion moved-

"For the existing Clause 2, the following Clause shall be substituted-

"(3) The university shall not, itself or through franchise or ageny, operate or open any off campus centre and study centre:

Provide further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administerted by the University."

Mr. Speaker: Question is-

"For the existing Clause 2, the following Clause shall be substituted-

"(3) The university shall not, itself or through franchise or ageny, operate or open any off campus centre and study centre:

Provide further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administerted by the University."

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2, as amended, stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2, as amended,stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Education Minister will move that the Bill as amended be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move-

That the Bill as amended be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill as amended be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill as amended be passed.

The motion was carried.

5. चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी सिरसा (सैकेण्ड अमैडमैंट) बिल, 2012

Mr Speaker: Now, the Education Minister will introduce Kurukshetra University (Second Amendment) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to introduce Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Second Amendment) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from Education Minister in existing Clause 2. Now, the Education minister will move an amendment..

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move-

"For the existing Clause 2, the following Clause shall be substituted-

"(3) The university shall not, itself or through franchise or ageny, operate or open any off campus centre and study centre:

Provide further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administerted by the University."

Mr. Speaker: Motion moved-

"For the existing Clause 2, the following Clause shall be substituted-

"(3) The university shall not, itself or through franchise or ageny, operate or open any off campus centre and study centre:

Provide further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the requisite infrastructure, the same shall continue to be administerted by the University."

Mr. Speaker: Question is-

"For the existing Clause 2, the following Clause shall be substituted-

"(3) The university shall not, itself or through franchise or ageny, operate or open any off campus centre and study centre:

Provide further that if the University has well maintained post graduate regional centres with all the

requisite infrastructure, the same shall continue to be administerted by the University."

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2, as amended, stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2, as amended,stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Education Minister will move that the Bill as amended be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move-

That the Bill as amended be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill as amended be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill as amended be passed.

The motion was carried.

6. दि पंजाब ि ाडयूल्ड रोड्ज एंड कंट्रोल एरियाज रिस्ट्रिक ान ऑफ अनरेगुलेटड डिवेल्पमैंट (हरियाणा अमैडमैंट) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 2012 and will move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh surjewala): Sir, I beg to introduce the Punjab Schedules Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab Schedules Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Schedules Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Schedules Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause4

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Education Minister will move that the Bill as amended be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That the Bill passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill passed.

The motion was carried.

7. दि पंजाब न्यू कैपिटल (पैरिफेरी) कंट्रोल (हरियाणा अमैडमैंट) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Punjab New Capital (Peripheryl) Control (Haryana Amendment) Bill, 2012 and will move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh surjewala): Sir, I beg to introduce Punjab New Capital (Peripheryl) Control (Haryana Amendment) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab New Capital (Peripheryl) Control (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab New Capital (Peripheryl) Control (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab New Capital (Peripheryl) Control (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Education Minister will move that the Bill as amended be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That the Bill passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टैम्पोरेरी रिलीज) अमैडमैंट बिल 2012

Mr. Speaker: Hon'ble Members now, the Minister of State for Labour and Employment will introduce the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh surjewala): Sir, I beg to introduce Haryana Good Conduct

Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2 to 6

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 to 6 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Education Minister will move that the Bill as amended be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That the Bill passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमैडमैंट) बिल,2012

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2012

Sir, I also bg to move-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्रीमती सुमिता सिंह (करनाल): अध्यक्ष महोदय, बिल न. 9 के बारे में अपनी बात कहना चाहती हूं। इसमें जो प्रोपर्टी टैक्स की बात की जा रही है मै उसके बारे में जानना चाहूंगी कि यह सिर्फ ऐप्रूवड कालोनीज में लगेगा या अनअप्रूवड कालोनीज में भी लागू होगा। सर, अनअप्रूवड कालोनीज के निवासी जब हमसे अपनी समस्याओ के समाधान के लिए मिलने आते है तो हम उनको ये बोल देते है कि आपकी कालोनी अनअप्रूवड है इसलिए यह काम नही हो सकता। अब अगर हम उनसे टैक्स लेंगे तो मै चाहती हूं कि मंत्री जी स्पेसिफाई करें कि प्रापर्टी टैक्स सारे एरियाज के लिए है या सिर्फ अप्रूवड एरियाज के लिए है? मै यह भी जानना चाहती हूं कि गवर्नमैंट की कुछ प्रॉपर्टीज

जैसे म्युनिसिपल काउंसलिग की प्रॉपर्टीज है या इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज है, चाहे जिला परिशद की प्रॉपर्टीज है और रैंट पर चढी हुई है वह भी पुराने समय से रैंट पर चढी हुई है जिनका किराया केवल मात्र 300 या 400 रुपए महीना के हिसाब से लोग देते है और वह प्रापर्टीज सैंट्रली लोकेटेड एरियाज होते है। हरियाणा के तकरीबन सभी भाहरो के अंदर ऐसा हो रहा है। वे लोग क्या करते है कि म्युनिसिपल कमेटी कं अंदर 20–25 हजार रुपया फीस जमा कराके उस प्रॉपर्टी को आगे सबलैट कर देते है और वह किसी के भी नाम हो जाती है और जिसके नाम करते है वह आगे किसी से 15–20 लाख रुपए पगडी लेते है। इससे सरकार को रिवेन्यू का बहुत नुकसान होता है। क्या सरकार इस बारे में कोई बिल या अमैडमैंट लाने जा रही है? सरकार ने आज से 5–6 साल पहले इस बारे में एक चिट्ठी भी निकाली थी कि जो भी किराएदार म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर 500 रुपए से कम किराया दे रहे है वे इस प्रोपर्टी को खरीद सकते है लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी कोई नही खरीदता क्योंकि यदि ऐसी प्रॉपर्टी कोई खरीदता है तो आज के दिन जो भी डी. सी. रेट है वह उसे देना पडेगा। अब वे लोग मुफ्त के भाव में बैठे हुए है। आज के दिन ` 250–300 रुपए महीने के किराए पर बैठे है और अगर इसको इन्कीज भी करते हैतो मेरे ख्याल में कानून के तहत 10 या 15 परसैंट से ज्यादा इन्कीज नही की जा सकती है, इस पर भी सरकार ध्यान दें, यह मेरा मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है।

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, learned Hon'ble Meber has raised two questions. One is regarding its application of house tax to approved as also to unapproved areas. This is applicable to entire municipal area. Whenit comes to provision of amenities they are provided for a particular area like sewerage, drinking water, electricity etc. But when you are resident of a city, ou are using amenities of an entire city. Municipal Tax is a tax for user of facilities of the entire city. As you know Sir, you are and esteemed Lawyer yourself; tax is not directed relatable to provisions of a particular service as upheld by the Hon'be Supreme Court also. So, Municipal Tax would be applicable to the entire municipal area including any other un-approved area.

राव धर्मपाल (बाद ाहपूर): स्पीकर सर, अनएप्रूवड कालोनिज से जो प्रोपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स लिया जाता है तो उनके अगेंस्ट क्या उनको सुविधाएं भी दी जायेंगी?

श्रीमती सूमिता सिंहः अध्यक्ष महोदय, वे जो रोड टैक्स अलग से देते है जैसे गाडी, मोटर–साईकल और स्कूटर आदि का उसके बारे में बतायें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर सर, मै इस बारे में दोबारा ऐक्सप्लेन कर देता हूं। मै आपके माध्यम से मेरे काबिल दोस्त और माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि कोई भी रैजीडेंि ायल बिल्डिंग चाहे वह एप्रूवड एरिया में है या नही और जो 250 वर्ग गज तक की है उन पर कोई टैक्स नही लगाया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने और पूरे मंत्रीमंडल ने इस बारे में

बडा consciously यह निर्णय लिया है। इसके बाद भी जो रैजीडेंि ायल एरिया पर टैक्स है वह बहुत ही नोमिनल सा है। ए ैंसली तो वह कामि र्यल एरिया पर है। जहां तक रिबेट का प्र न है नॉन आर.सी.सी. बिल्डिंग है उन पर स्ट्रेटवे 25 प्रति ात का रिबेट है। 25 प्रति ात रिबेट इसलिए भी है कि अगर आपकी प्रापर्टी 25 साल पुरानी है और जो सैल्फ आकयूपाईड प्रापर्टी है और 250 वर्ग गज से ज्यादा है उनको 50 प्रति ात तक का टैक्स पर कनसे ान है। 250 वर्ग गज के सैल्फ आक्यूपाईड सभी घर एक्जैमप्टिड है। 100 प्रति ात रिबेट उन रैजीडंि ायल बिल्डिंगज पर है जो 250 वर्ग गज तक है और जो owned by Ex-serviceman, family of deceased soldiers, Ex-Para Military Force personnel हैं। उन्होने यह पूछा है कि यह पूरी म्युनिसिपल एरिया पर एप्लीकेबल होगा या एप्रूवड एरिया पर। यह पूरे म्यूनिसिपल एरिया पर लागू होगा। माननीय सदस्य के प्र न के उतर में मैने इस बारे में जवाब दिया था। कोई भी ऐमैंनिटीज जब आप प्रोवाईड करते है तो वह ऐप्रूवड कालौनी हो जाती हैं।जब आप उस भाहर के नागरिक है और पूरे भाहर के एमेनिटीज आप यूज कर रहे हैं इसलिए Sir, the tax is never relatable to use of a particular service as I have already explained that to you. That debate got settled in the year 1953 by the Hon'ble Supreme Court much before I was born. They said the tax is not relatable to the provisions of a service. Tax is not relatable t providing of a particular service. We can't open the issue in the year 2012 in this august house. So, it is applicable to the entire State and the tax that has been imposed is extremely

nominal. It is almost not there and the tax in commercial aeas is also based on the life of the building, RCC structures etc. A details scheme has been formulated then only they have to pay tax. Sir, her second question was regarding sub-letting of municipal council's properties. It is not relatable to the current amendment. Hon'ble Member should send a separate notice qua that.

श्री आनंद सिंह दांगी (महम): स्पीकर सर, भाहर और टाउन की जो बात चल रही है उनमें अनएप्रूवड और एप्रूवड एरिया के डिवलपमैंट में फर्क क्यों किया जा रहा है? उनसे टैक्स भी लिया जा रहा है।उनके वोट भी बने हुए है, उनका म्युनिसिपल काउंसिलर भी बनता है तो उनको फैसिलिटीज क्यो नही दी जाती। अनएप्रूवड कालोनीज की गलियों की हालत इतनी खराब है कि वहां पर आने जाने में बहुत मुि कल होती है। जब वे लोग टैक्स दे रहे है तो उनके एरिया की इम्प्रूवमैंट क्यों नही हो पा रही है?

13:00 बजे

श्रीरणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, इस बारे में मै कल इस हाउस में आन्सर दे चुका हूं। The cabinet has already passed a resolution for regularization of these colonies. A Committee has constituted, report has come. Nearly 542 if I remember correctly, colonie have been asked to be regularized. Somebody went to the Hon'ble High Court and the Division Bench headed by the then Chief Justice has stayed further proceedings in the matter. I had assured earlier we will take

every possible step and present all facts that we will provide all regular amenities in these colonies also so that they are regularized.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

The Sub-Clause 2 of Cluase 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 13

Mr. Speaker: Question is-

That Cluases 2 to 13 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

The Sub-Clause 1 of Cluase 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That the Bill passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed

The motion was carried.

10. दि हरियाणा म्युनिसिपल कार्पोरे ान (अमैडमैंट) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 21

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 to 21 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That the Bill passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed

The motion was carried.

11. दि पंजाब ऐग्रीकल्चर प्रोडयूस मार्किट (हरियाणा अमैडमैंट) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Agriculture Minister will introduce the Punjab Agricultual Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Agricultual Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab Agricultual Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Agricultual Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Shri Bharat Bhushan Batra (Rohtak): Speaker Sir, effort of the Haryana State Agriculture Marketing Board well as Agriculture Department is commendable. We arean agriculture State and revolution is needed so far as the agricultural produce is concerned. In the concept of Poly Houses efforts should be made and farmers should be made vigilant and intelligent also to go for the Poly Houses. It has paid a dividend that out Hon'ble Chief Minister has also visited Israel and we are having a collaboration unit at Gharaunda also and it is going very fine. Thus amendment is being made for a particular purpose that sense for a direct buying and provide all the facilities to the farmer like cleaning, packing. वह सारी फैसिलिटी प्रोवाईड करवा सकता है। The proposed amendment has been made in clause 7 at page 3 that section 8A of the Principal Act, the following sections shall be inserted, namely.

"8B Establishment of collection centre.- The Chief Administrator may from time to time specify particular area of location of premises in notified area of any Market Committee as a dedicated collection centre for horticultural produce and other commercial crops, as may be notified by the State Government, from time to time. Further, the Chief Administrator may grant a licence on terms and conditions, as may be prescribe from time to time any person, as may be found appropriate after examination of their credentials for purchase of horticultural produce and other such crops directyly from farmers in such collection centre."

Before putting or making my suggestion I would like to point out that the Chief Administrator may allow any person including a licence holder to provide facilities such a processing, packing, sorting, granding, storage, sale and export, then this facility will come to the farmer also. But when the Chief Administrator will giva a licence, such a intra contradictory clause is there that the Chief Administrator may grant a licence on the terms and conditions as may be prescribed.Prescribe means according to the rules, according to the norms, according to the section from time to time. Then in the second leg itself it is mentioned that 'as may be found appropriate after examination of their credentials.' These are contradictory and according to the norms when the licence is being granted a person is to negotiate directly with the farmer and secondly you are saying that after it is found appropriate after examination of their credentials. That will lead to ambiguity and it will lead to litigation when any case is being decided. So, my request is that the amendment I what to move is that is this clause, so far as wording-' as may be found appropriate after examination of their credentials' may kindly be deleted. This is my submission.

प्रो0 सम्पत सिंह (नलवा): सर, जैसे बतरा जी ने कहा कि अमैडमैंट के फार रिचिंग फैक्ट्स होंगे, इसमें कोइ दो राय नही है क्योंकि होर्टीकल्चर प्राडयूस और वेजीटेबल दोनो चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इस बारे में जिस समय एफ.डी. आई का जिक आया था। उस समय कुछ स्टडीज इधर उधर से मैने मंगवाई थी। उसमें देखा था जैसे फ्रूटस के जो रेट है और जिस तरीके से रास्तें में फ्रूट खराब होते है। जैसे हमारे यहां आम

का एक्जाम्पल आया था कि उसके कैरेज का सिस्टम ठीक न होने के कारण पिछले साल बंगाल और पाकिस्तान का आम तो जबरदस्त बिका था और हिन्दुस्तान का नही बिक पाया था। लेकिन गवर्नमैंट आफॅ इंडिया की ट्राई यही थी कि यदि एफ.डी. आई. ऐग्रीकल्चर में आ जायेगी तो सहज ही कैरेज सिस्टम ठीक हो जायेगा। हमारे प्रदे ा में भी फ्रुटस को दूसरे स्टेटस में 'as it is' ले जाने के लिए सुविधाएं नही है। क्योंकि इसके लिए कुलिंग सिस्टम वगैरह और टैम्परेचर मेन्टेनंस सिस्टम की जरुरत होती है उस तरह का सिस्टम हमारे यहां नही है और यदि है भी तो बहुत कम मात्रा में है जो बहुत कोस्टली पडता है। आज सरकार जो अमैडमैंट ला रही है इससे फार्मर के खेत के अंदर सैंटर खोल कर परचेजिंग कर सकते है, स्टोरिंग कर सकते है। इससे किसान को अच्छी सुविधा मिलेगी और भाायद पी.पी.पी. मोड पर भी होगा। इसमें स्टडीज में यह भी था कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान 80 से 85 प्रति ात के बीच लॉसिज़ हो जाते है क्यांकि वे ज्यादा पैरी ोबल है अर्थात् फटाफट खत्म हो जाती है। आज अगर हमने सब्जी को तोडा हुआ है तो वह अगले दिन मुरझा जाती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या अंदर क्राप्स में वैजीटेबल भी आ जाएगी। अगर नही है तो इसमें वेजीटेबल को जरुर जोड लिया जाये because they are moe perishable सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इजरायल के साथ घरौंडा में जो ग्रीन पार्क इस्टब्लि ा किया है उकी जितनी ज्यादा ऐक्सटें ान

सर्विसिज हम दें उतना ज्यादा अच्छा रहेगा हालांकि गवर्नमैंट ने इस पर बहुत ज्यादा सब्सिी दी है लेकिन उस तरह की एक्सटैंजिव सर्विसिज जैसे 'नो हाउश की है जो टेक्नीकल सर्विसिज है उनकी आज ज्यादा जरुरत है। उससे बढिया कोई चीज नही हो सकती है। वहां से ताजा चीजे मिलेंगी और उनमें पानी की कम जरुरत पडेगी। वहां की सब्जियां सभी प्रकार के कैमीकल्ज से फ्री होंगी और उनमें पानी की भी कम जरुरत पडेगी। मैने भी वह सैंटर देखा था। स्पीकर सर, वहां पर आपका भी आना जाना रहता है। मै यह कहना चाहता हूं कि इस तरक के सैन्टर्ज की स्टेट के अन्दर ऐक्सटें ान की जाये क्योंकि अभी तक ऐक्सटें ान हम नही कर पाये है। जिस इंटै ान से माननीय मुख्य मंत्री जी इसको लेकर आये है इससे उतना उचित फायदा नही हो रहा है जितना वास्तव में होना चाहिए था। जब वहां जाकर देखते है तो हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर कितनी ज्यादा रिसर्च का सब्जैक्ट बन चुका है। अब ऐग्रीकल्चर सैक्टर सिर्फ आम आदमी के लिए नही रह गया है। समय के हिसाब से सारी किस्म की काप्स हमें लगानी पडेंगी। चाहे वह जमीन पर पैदा हो रही है चाहे वह दो फुट पर पैदा हो रही है या चाहे वह 20 फुट पर पैदा हो रही है। अगर हम हर प्रकार की चीजें लगायेंगे तभी जाकर एग्रीकल्चर वायेबल हो सकता है। इसी कारण से हमारे जी.डी.पी. और जी.एस.डी.पी. दोनों मे एग्रीकल्चर सैक्टर का कंट्रीब्यू ान कह होता जा रहा है यह बहुत अच्छी बात है। यह भी कारण है कि जो टोटल कम्पोजिट वर्क है अगर हम भारत सरकार का जी डी पि देखें तो

वह महज 12 परसैंट ही रह गया है और एग्रीकल्चर का 16 परसैंट रह गया है। इसके अंदर इसी तरह क रिवोल्यू ानरी स्टेप्स उठाने पडेंगे और इसी तरह की इनवैस्टमैंट भी प्राइवेट सैक्टर की तरफ से जितनी ज्यादा से ज्यादा लाई जा सके, उतना ही अच्छा रहेगा। मै तो सरकार को यही कहना चाहूंगा कि ऐग्रीकल्चर सैक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा इनवैस्टमैंट लेकर आये ताकि ऐग्रीकल्चर को बूस्टिंग मिले। इसके साथ मै यह कहना चाहूंगा कि मैन सिरसा में देखा है कुछे बडी सिख फैमलीज ऐसी है जो कि चावल और गेहूं का डायरैक्ट ऐक्सपोर्ट करते है। वे तो बडे किसान है इसलिए वे ये सब कर सकते है लेकिन छोटा किसान ऐसा नही कर सकता। मै चाहता हूं कि प्रोईवेट सैक्टर के लोगों को एग्रीकल्चर सैक्अर से जडने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाये ताकि वे इसमें ज्यादा से ज्यादा आयें जिससे हमारी फार्मिंग बढेगी क्योंकि लैंड होल्डिंग दिन प्रति दिन कम होती जा रही है। और उसके उपर मौसम की मार भी जब तब पडती ही रहती है। जैसे इस बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने महंगे भाव पर बिजली खरीद कर किसानो को अपनी फसल को लगाने और सम्भालने के लिए दी और अब परमात्मा ने बरसात कर दी है जिससे हमारी फसल का अच्छा फायदा हो गया है, अदरवाईज हमारी फसलें तो इस बार खत्म हो गई थी। इस प्रकार से एग्रीकल्चर सैक्टर में नैचुरल कैलेमिटीज और दूसरी चीजें बहुत ज्यादा आ जाती है इसलिए इस सैक्टर में जितनी ज्यादा से ज्यादा इन्वैस्टमैंट की जाये, उतनी ही कम है।

Mr. Speaker: Valuable suggestions. Hon'ble Minister may respond.

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) Sir, I would like to say that we will consider all the amendments as suggested by Mr. B. B. Batra and Shri Sampat Singh Ji about vegetables.

Mr. Speaker: Hon'ble Minister, he wants you to spend more funds on infrastructure.

Sardar Paramver singh: Sir, we are spending more because we are making an international market at Gannaur. We are spending wherever it is needed and we are doing our best.

Mr. Speaker: You mean to say that you will do it wherever it is required.

Sardar Paramver singh: Yes, Sir.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Agricultural produce Makerts (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2 to 6

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 to 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 7

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from Agriculture Minister in existing Section 8B of Clause 7. Now the Agriculture Minister will move an amendment.

Agriculture Minister (Sardar Paramveer Singh): Sir, I beg to move-

That the existing section 8B of Clause 7 of this Bill the words ' as may be found appropriate after examination of their credentials' may be deleted.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the existing section 8B of Clause 7 of this Bill the words ' as may be found appropriate after examination of their credentials' may be deleted.

Mr. Speaker: Question is-

That the existing section 8B of Clause 7 of this Bill the words ' as may be found appropriate after examination of their credentials' may be deleted.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 7, as amended, stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 8 and 9

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 8 and 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Agriculture Minister will move that the Bill as amended be passed.

Agriculture Minister (Sardar Paramveer Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill, an amended, passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill, an amended, passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill, an amended, passed.

The motion was carried.

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव की सूचना

Industries Minister (Shri Randeep singh Surjewala): Hon'ble Speaker Sir, there was a calling Attention Motion by Shri Anil Vij and I think you are very kind to say that you will take it up if he is in the House. Government is ready with its reply on the Calling Attention Motion.

Mr. Speaker: Well, Mr. Vij said he will be coming to the House and will move his Adjournment Motion and Calling Attention Motions. But he himself is not present here.

Shri Randeep Singh Surjewala: You are very kind to call him in your Chamber. After considering his request, you instruct us to give reply. So, we are ready with our reply.

Mr. Speaker: I had promised him to reconsider my decision whereby I have disallowed the consideration thereof, But after talking to him, I have promised to allow him to discuss with regard to resentment against the acquisition of land in District Rewari and also with regard to former Haryana Minister Shri Gopal Kanda, accused of abetting the suicide of

former Air Hostess, Geetika Sharma. As he is not present, therefore, no need to take-up them.

Shri Randeep Singh Surjewala: Very Well, Sir.

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I am highly thankful to you all for extending cooperation to me for smooth running and conducting the proceedings of this House. I am also thankful to all the press representatives, Government officers and other officials of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat for their cooperation extended to me during the present Session.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the House stands adjourned sine die.

13:17 hrs.

(The Sabha then adjourned sine die.)